केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक–420)

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन (2006–07)

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

# अनुक्रमणिका


| अध्याय | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | निष्पादक संक्षेप | i - ix |
| प्रथम | मूल्यांकन संरचना | 1 – 6 |
| द्वितीय | प्रगति समीक्षा | 7 – 12 |
| तृतीय | अध्ययन परिणाम | 13 – 39 |
| चतुर्थ | कठिनाईयाँ एवं सुझाव | 40 – 46 |
| | परिशिष्ट– *I - VI* | |


———

# उद्‌बोधन

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1974 से सामाजिक पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्धेश्य पात्र विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित विधवा महिला समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त कर सके। सामाजिक सुरक्षा कवच के तहत संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन के अन्तर्गत देय राशि की पर्याप्तता व उपलब्धता एवं पेंशन राशि से लाभार्थियों पर पड़े प्रभाव के आकलन के परिप्रेक्ष्य में राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन सम्पादित किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजना क्रियान्विति के परिणामों को यथास्थान दर्शाते हुए योजना क्रियान्विति में अनुभूत परिवेदनाओं का वर्णन करते हुए इसके सफल संचालन हेतु उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। आशा है कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझावों की क्रियान्विति से योजना प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगी एवं योजना के सफल संचालन में रूचि रखने वाले कार्यकारियों एवं कार्यकारी विभाग के लिए यह प्रतिवेदन उपयोगी सिद्ध होगा।

तिथि : नवम्बर, 2007
स्थान : जयपुर

**( वी.श्रीनिवास )**
**शासन सचिव, आयोजना**

# आमुख

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के असहाय वर्ग को राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम,1974 के अन्तर्गत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी आयु की विधवा महिला को प्रारम्भ में 200/– रुपये प्रतिमाह दी जा रही थी। समय–समय पर पेंशन राशि में वृद्धि की गयी। दिनांक 01–04–2007 से सभी विधवाओं को 400/– रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2005–06 में 2.23 लाख महिलाओं को 4959.50 लाख रुपये पेंशन राशि के दिये गये।

कार्यक्रम को अधिक उपयोगी एवं सफल संचालन किये जाने के उद्देश्य से यह अध्ययन मूल्यांकन संगठन विभाग को दिया गया। अध्ययन हेतु शोध प्रक्रिया के अन्तर्गत बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग करते हुये तीन जिलों यथा– जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन कर चयनित लाभार्थियों, अधिकारी एवं गैर अधिकारी, डाकघर कर्मियों से साक्षात्कार कर प्राप्त विचारों/सूचनाओं/तथ्यों के आधार पर समीक्षा के साथ उनके संरचनात्मक पहलुओं पर प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया है। अध्ययन प्रतिवेदन में योजना के संचालन में रही कमियों को इंगित कर उपयोगी सुझाव यथा स्थान दिये गये हैं। आशा है प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव सम्बन्धित विभाग एवं योजना के संचालन में रूचि रखने वाले कार्यकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : नवम्बर,2007
स्थान : जयपुर

**( जी.आर.पाराशर )**
**निदेशक एवं पदेन उप सचिव**

# निष्पादक संक्षेप

## I. प्रस्तावना :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के आर्थिक रूप से गरीब यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों के साथ–साथ विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा बच्चों के उत्थान हेतु अनेक विकासीय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसमें विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना का मुख्य स्थान है।

## II. विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना का उद्धेश्य :

इस योजना का मुख्य उद्धेश्य पात्र विधवा/परित्यक्ता महिला को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

## III. योजना का स्वरूप :

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1974 से सामाजिक पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया गया। जिसके अन्तर्गत किसी भी आयु की विधवा महिला को प्रारम्भ में 200 रूपये प्रतिमाह दी जा रही थी।

समय–समय पर पेंशन राशि में वृद्धि की गयी। 01.04.06 से 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा महिला को 400 रूपये एवं 65 वर्ष से कम उम्र की महिला को 200 रूपये नकद + 10 किलो गेहूँ के बदले 50 रूपये अर्थात 250 रूपये प्रतिमाह दिये जा रहे थे। दिनांक 01.04.07 से सभी विधवाओं को 400 रूपये पेंशन दी जा रही है।

## IV. पात्रता :

- किसी भी आयु की विधवा/परित्यक्ता महिला
- विधवा/परित्यक्ता महिला निराश्रित हो
- राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो तथा आवेदन दिनांक को कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में निवास कर रही हो।
- नियमित आय को कोई साधन नहीं हो

- परिवार का कोई सदस्य (पति, पुत्र, दत्तक पुत्र या पौत्र) 20 वर्ष या अधिक आयु का न हो या ऐसा परिवार का सदस्य स्वयं अक्षम हो या कमाने में असमर्थ हो।
- उपरोक्त ऐसे किसी बातों के होते हुए भी विधवा/परित्यक्ता, जो ऐसे परिवार की है जिस परिवार को अन्त्योदय कार्यक्रम या आई.आर.डी.पी. के सर्वेक्षण में चयनित हो, भी पेंशन के लिए पात्र होगी।

## V. अध्ययन की आवश्यकता :

राज्य सरकार के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच के अन्तर्गत संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के तहत देय राशि की पर्याप्तता व उपलब्धता से लाभार्थियों पर पड़े प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

## VI. अध्ययन के उद्धेश्य :

(i) योजनान्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) लाभान्वितों को देय राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता एवं उपयोग का विश्लेषण करना
(iii) प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभाव का आकलन करना एवं
(iv) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियाँ ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

## VII. न्यादर्श प्रक्रिया :

यह योजना राज्य के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है। अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धत्ति का उपयोग किया गया है।

प्रथम स्तर पर संदर्भित अवधि के तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) में विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के लाभार्थियों को सम्भागवार घटते क्रम में व्यवस्थित कर सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन सम्भागों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर सम्भागों का चयन किया गया।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित सम्भाग से संदर्भित तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक अर्थात तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन किया गया।

तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो नगर निकाय एवं दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता संख्या के आधार पर तथा एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति अपनाकर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 6 नगर निकाय एवं 6 पंचायत समितियों का चयन किया गया।

चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित नगर निकाय से दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से किया गया इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 12 वार्ड एवं 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

अन्तिम स्तर पर प्रत्येक चयनित वार्ड एवं ग्राम पंचायत से वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों से 15–15 लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाना निर्धारित किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित वार्डों से 180 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 180 महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाना था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित वार्डों से 178 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 173 कुल 351 महिला लाभार्थियों से अनुसूचियाँ भरी गयी।

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित 351 महिला लाभार्थियों के अलावा 55 अधिकारी–गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान उनसे प्राप्त विचारों/तथ्यों एवं वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक प्राप्त प्रलेख सूचनाओं को संकलित कर विश्लेषण किया गया है।

## VIII. **प्रगति समीक्षा :**

- राज्य में विधवा महिला लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2003–04 में 1.74 लाख विधवाओं को पेंशन दी गयी वहीं वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में बढ़कर क्रमशः 2.00 एवं 2.23 लाख हो गयी।
- विधवा पेंशन योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 3661.25, 4181.32 एवं 4959.52 लाख रूपये व्यय किये गये।
- चयनित तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर में वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 29896, 35311 एवं 34810 आवेदकों के पी.पी.ओ. जारी किये गये तथा सभी को नियमित रूप से भुगतान किया जाना अवगत कराया गया।

- वर्ष 2005–06 में चयनित जिला जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर में क्रमशः 10948, 19534 एवं 4328 विधवाओं को पेंशन उपलब्ध करवायी गयी। जिला उदयपुर एवं अजमेर में शत प्रतिशत विधवाओं को मनीऑर्डर द्वारा भुगतान किया गया जबकि जयपुर जिले में 2190 विधवाओं को कोषालय से नकद भुगतान एवं शेष 8758 विधवाओं को मनीऑर्डर द्वारा पेंशन राशि उपलब्ध करवायी गयी।
- चयनित जिलों की विभाग से प्राप्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं में अन्तर पाया गया। विशेष तौर से उदयपुर जिले में काफी अन्तर पाया गया।

## IX. अध्ययन परिणाम :

### (i) लाभार्थियों का सामान्य विवरण :

- चयनित 351 विधवाओं में से सर्वाधिक 236(67.2 प्रतिशत) महिलाएँ 26 से 50 वर्ष, 98(27.9 प्रतिशत) 51 से 75 वर्ष, 16 (4.6 प्रतिशत) 25 वर्ष से कम एवं शेष 1(0.3 प्रतिशत) महिला 76 वर्ष से भी अधिक आयु की थी।
- चयनित 351 विधवाओं में से 178 शहरी एवं 173 महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की हैं।
- 95(27.1 प्रतिशत) महिलाएँ अनुसूचित जाति, 56(16.0 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति एवं 110(31.3 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शेष 90(25.6 प्रतिशत) महिलाएँ सामान्य वर्ग की है।
- 296(84.3 प्रतिशत) महिलाएँ निरक्षर एवं 55(15.7 प्रतिशत) निरक्षर हैं।
- 351 महिलाओं में से 350 राज्य की मूल निवासी हैं तथा उदयपुर जिले में एक महिला नीमच (मध्यप्रदेश) की मूल निवासी है जिसका विवाह राजस्थान में हुआ था।

### (ii) महिलाओं के आवास की स्थिति :

चयनित 351 विधवा महिलाओं में से 282 (80.3 प्रतिशत) विधवाएँ स्वयं के आवास में रह रही थी जबकि शेष 69(19.7 प्रतिशत) विधवाओं के पास स्वयं के आवास नहीं थे। जिन 282 विधवाओं के पास स्वयं के मकान थे, उनमें से 177(62.8 प्रतिशत) कच्चे मकानों में, 83 (29.4 प्रतिशत) पक्के मकानों में एवं शेष 22 (7.8 प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों में रह रही थी। स्वयं के आवास में रहने वाली 15 महिलाओं के मकान सरकारी आर्थिक सहायता से प्राप्त मकान थे।

### (iii) विधवा महिलाओं का रहवास :

चयनित 351 महिलाओं में से 186 (53.00 प्रतिशत) महिलाएँ बच्चों के साथ, 103 (29.3 प्रतिशत) अकेली, 47 (13.4 प्रतिशत) बेटी के साथ एवं शेष 15 (4.3 प्रतिशत) महिलाएँ पीहर पक्ष में रह रही थी।

(iv) **राशनकार्ड/बीपीएल कार्ड** :

चयनित 351 महिलाओं में से अधिकांश 344 (98 प्रतिशत) महिलाओं के पास राशनकार्ड थे। 147 (41.9 प्रतिशत) महिलाएँ बीपीएल चयनित विधवा महिलाएँ थी।

(v) **पेंशन की जानकारी का माध्यम एवं पेंशन आवेदन हेतु सहयोग** :

ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन की जानकारी एवं आवेदन–पत्र भरने में सहयोग देने वालों में सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम सेवक प्रमुख थे तो शहरी क्षेत्र में प्रमुख स्त्रोत वार्ड मेम्बर व पार्षद थे।

(vi) **पेंशन स्वीकृत वर्ष** :

चयनित 351 विधवा महिलाओं में सर्वाधिक 175 (49.9 प्रतिशत) विधवाओं को पेंशन वर्ष 2004–06 में स्वीकृत हुई थी। 76(21.6 प्रतिशत) विधवाओं को वर्ष 2000 से पूर्व, 40 (11.4 प्रतिशत) को वर्ष 2000 से 2002 के मध्य, 38 को 2002 से 2004 के मध्य एवं शेष 22 को वर्ष 2006 के बाद पेंशन स्वीकृत हुई थी।

(vii) **पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय** :

28 (8.0 प्रतिशत) विधवाओं के पेंशन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद ही स्वीकृत हो गयी। 166(47.3 प्रतिशत) विधवाओं की दो माह के अन्दर, 98(27.9 प्रतिशत) को 3 से 4 माह में, 38(10.8 प्रतिशत) को 5 से 7 माह में स्वीकृत हुई। लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी (38) ऐसे थे जिनके पेंशन स्वीकृति में 3 से 7 माह से भी अधिक समय लगा। विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिये कि आवेदन के एक माह में पेंशन स्वीकृत हो जावे।

(viii) **पेंशन की प्राप्त राशि** :

- सर्वे दिनांक को 65 वर्ष एवं अधिक आयु की 33 (9.4 प्रतिशत) विधवाओं को 400 रूपये प्रतिमाह एवं शेष 318(90.6 प्रतिशत) विधवाओं को जो 65 वर्ष से कम उम्र की थी, 250 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही है।
- सर्वे दिनांक को चयनित 351 विधवा महिलाओं में से 236 (67.2 प्रतिशत) विधवाओं को मनीऑर्डर, 106 (30.2 प्रतिशत) को कोषालय से नकद एवं शेष 9 (2.6 प्रतिशत) विधवाओं को बैंक खाते से राशि प्राप्त होना पाया गया। कोषालय से नकद राशि प्राप्त करने वाली महिलाएँ ज्यादातर शहरी क्षेत्र की हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश महिलाएँ अकेली, असहाय एवं असुरक्षित होने के कारण मनीऑर्डर के माध्यम से ही पेंशन राशि प्राप्त करती है।

(ix) **पेंशन की नियमितता** :

- चयनित 351 विधवाओं में से 189 (53.8 प्रतिशत) विधवाओं को नियमित एवं शेष 162 (46.2 प्रतिशत) विधवाओं को पेंशन राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी। इनको पेंशन राशि 2 माह से 4 माह में प्राप्त हो रही थी। नियमित रूप से पेंशन राशि प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण कोष कार्यालय में विधवाओं का नहीं आना, ग्राम के बाहर अपने रिश्तेदारों के चले जाने से मनीऑर्डर वापस आ जाना तथा डाकघर में स्टाफ की कमी के कारण पेंशन प्रतिमाह वितरित न की जाकर प्रत्येक दो माह में एक बार वितरित की जाना था।
- सर्वे दिनांक को 179 विधवाओं को चालू माह की पेंशन प्राप्त हो चुकी थी लेकिन 64 महिलाओं की 1 माह, 55 महिलाओं की 2 माह, 20 महिलाओं की 3 माह एवं शेष 33 महिलाओं की 4 माह या इससे भी अधिक समय की पेंशन बकाया थी। पेंशन प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण यथा 2–2 माह की पेंशन मनीऑर्डर द्वारा आना, मनीऑर्डर का माह की 10–15 तारीख तक आना, कोष कार्यालय से समय पर डाकघरों में राशि नहीं भिजवाना, डाकघर में पेंशन लेने नहीं जाना इत्यादि रहे।

(x) **पेंशन राशि का उपयोग** :

ज्यादातर लाभार्थी पेंशन का उपयोग अन्न खरीदने, दवाईयों एवं घरेलू खर्च पर करते हैं। कुछ लाभार्थियों द्वारा पेंशन राशि का उपयोग उधार लिये गये ऋण के ब्याज चुकाने पर भी किया जा रहा है।

(xi) **पेंशन राशि की पर्याप्तता** :

351 विधवाओं में से 22 विधवाओं ने मिल रही पेंशन राशि को पर्याप्त एवं शेष 329 विधवाओं की राय में पेंशन राशि अपर्याप्त थी। उन्हें जीवन निर्वाह हेतु अतिरिक्त राशि की अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करनी पड़ रही थी अथवा मजदूरी ज्यादा करनी पड़ रही थी। ज्यादातर लाभार्थियों ने पेंशन राशि बढ़कर 500 रूपये करने की आवश्यकता बतायी।

(xii) **जीवन स्तर पर प्रभाव** :

सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन राशि से ज्यादातर लाभार्थियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि मिलने से पूर्व दूसरे निकटतम परिवारजनों/ग्रामवासियों पर निर्भर रहना पड़ता था अब मांगने के स्थान पर स्वयं ही खर्चा चला लेते हैं। पेंशन की व्यवस्था से स्वयं आत्मनिर्भर होना, सम्मानजनक जिन्दगी जीना, आर्थिक कठिनाईयाँ कम होना भी अवगत कराया गया। 5 महिलाओं ने पेंशन प्राप्त होने के फलस्वरूप भीख मांगना बन्द कर दिया था।

## X. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव :

### (i) आदेशों में एकरूपता :

योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। पेंशन हेतु आदेश कभी वित्त विभाग द्वारा एवं कभी समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। अतः पेंशन संबंधित सभी आदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा ही किये जायें तो अधिक उचित रहेगा।

### (ii) आयु की गणना :

आवेदकों/लाभार्थियों का आयु प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में आयु राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान–पत्र से भरी जाती है। राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान–पत्र में आयु सही अंकित नहीं होने के कारण 65 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से ज्यादा की विधवाओं की राशि क्रमशः 200 एवं 400 रूपये होने के कारण देय राशि प्राप्त करने हेतु आयु में परिवर्तन कराने हेतु परेशानी उठानी पड़ती है। वर्तमान में 65 वर्ष से कम आयु की विधवाओं की पेंशन राशि भी 400 रूपये होने के कारण यह विसंगति स्वतः ही दूर हो गयी है।

### (iii) अशिक्षित/अनपढ़ आवेदक :

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अशिक्षित होने के कारण आवेदन–पत्र में कमियाँ/विसंगतियाँ होने के कारण ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं तहसील में बार–बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः जहाँ तक सम्भव हो पेंशन आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा अथवा अभियान/शिविर में तैयार करवाये जावें तथा उसी समय सूक्ष्म परीक्षण कर लिया जावे ताकि आवेदन–पत्र तैयार करवाने से आवेदक की पात्रता का भी सही आकलन हो सकेगा।

### (iv) कमाने योग्य संतान :

विधवा पेंशन के प्रावधान के अनुसार विधवा महिला के 20 वर्ष का पुत्र होते ही पेंशन स्वतः ही बन्द हो जाती है। चयनित महिलाओं का मत था कि 20 वर्ष की आयु में पुत्र न तो अपनी पढ़ाई ही समाप्त कर पाता है न ही कमाने लायक होता है। अतः आयु पर पुनर्विचार किया जाकर 25 वर्ष किया जाना उपयुक्त रहेगा।

### (v) विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय का अभाव :

योजना में पेंशन स्वीकृति आदेश, पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) एवं पेंशन भुगतान अलग–अलग अधिकारियों द्वारा किया जाता है। स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है कि कितनों को पी. पी. ओ. जारी हुए, पी.पी.ओ. जारी करने वाले अधिकारी को भुगतान की वस्तुस्थिति ज्ञात नहीं होती है।

इस प्रकार स्वीकृत अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी), कोषालय एवं तहसील में समन्वय का अभाव है। अतः सम्पूर्ण योजना का जिला/पंचायत समिति/निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जावे जो प्राप्त आवेदन–पत्रों, स्वीकृत आवेदन–पत्र, जारी पी.पी.ओ. एवं वास्तविक भुगतान आवेदकों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था करे।

(vi) **मॉनिटरिंग व्यवस्था** :

योजना की सबसे बड़ी कमी प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग का अभाव है किसी भी स्तर पर योजना के प्रबोधन हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं निश्चित दिनांक निर्धारित नहीं है केवल कोषालय में ग्रामीण व शहरी की अलग–अलग सूचना उपलब्ध है। यहाँ तक कि समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे। इस हेतु फॉर्मेट/प्रपत्र बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेजकर जिम्मेदारी निश्चित की जावे ताकि सूचनाओं में एकरूपता आ सके।

(vii) **पेंशन भुगतान व्यवस्था** :

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में ही लाभार्थी का बचत खाता खोलकर उसके माध्यम से पेंशन भुगतान की व्यवस्था प्रगति पर है। पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी व पेंशन प्राप्तकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण विधवाओं को भुगतान में परेशानी होती है एवं डाककर्मियों को पोस्टिंग में परेशानी होती है। कई वृद्ध महिलाओं का पोस्ट ऑफिस तक आना जाना भी कठिन है। पास बुक/चैक बुक खोने का खतरा है तथा दूसरे व्यक्ति/रिश्तेदार से राशि मंगवाने पर पूरी राशि नहीं मिलने का भी अंदेशा रहेगा।

(viii) **पेंशन में वृद्धि की जानकारी** :

अधिकांश विधवाओं को पेंशन की राशि कब बढ़ी एवं कब से मिल रही है, की जानकारी नहीं होती है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान अलग–अलग माहों से होना पाया गया। महिलाएँ मनीऑर्डर की रसीद को सम्भालकर नहीं रखती है। डाकघरों में 250 के बजाय 200 रूपये कम्प्यूटर में अंकित होने के कारण एक महिला को 200 रूपये ही प्राप्त हो रहे थे। अतः मानवीय भूलों की समय–समय पर जाँच कर सुधरवाया जाना चाहिये क्योंकि अनपढ़ ग्रामीण महिलाएँ बार–बार चक्कर नहीं काट सकती है।

(ix) **सभी पात्र विधवा महिलाओं को पेंशन** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि जिन ग्रामों में सरपंच/वार्ड पंच जागरूक हैं, वे शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पेंशन आवेदन–पत्र तैयार करवाकर स्वीकृत करवा लेते हैं लेकिन जिन क्षेत्रों में पटवारी/ग्राम सेवक/सरपंच इस कार्य में रूचि नहीं लेते हैं वहाँ पर पात्र विधवा महिलाएँ भी पेंशन से वंचित रह जाती है। अतः ग्रामसभा में समय–समय पर लगने वाले अभियान/शिविर में पात्र विधवा महिलाओं से आवेदन–पत्र भरवाकर पेंशन स्वीकृत करवाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

**निष्कर्ष** :

विधवा पेंशन, अशिक्षित, असहाय, गरीब विधवा महिलाओं के लिए अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। वर्तमान में 250 (200 नकद एवं 50 रूपये के गेहूँ) की राशि को बढ़ाया जाकर 400 रूपये कर दिया गया है। यद्यपि यह राशि सम्पूर्ण गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथापि प्राप्त पेंशन राशि से विधवाओं को बहुत सम्बल मिला है, समाज व परिवार में उनका सम्मान एवं मनोबल बढ़ा है, उनके आर्थिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। योजना के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा में समय–समय पर समस्त पात्र विधवाओं के आवेदन–पत्र भरवाये जावें ताकि उसी समय आवेदन–पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सके। यदि सम्भव हो सके तो स्वीकृत आदेश/पी.पी.ओ. की प्रति साधारण डाक से न भेजी जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे। पेंशन के नियमित भुगतान हेतु व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्धेश्य से ग्राम पंचायतवार तिथि निश्चित कर दी जावे। योजना के मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि योजना संबंधित सूचनाएँ एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।

———————

# अध्याय–प्रथम

# मूल्यांकन संरचना

## 1.1 परिचयात्मक विवरण :

1.1.1 भारत के संविधान के भाग 4 – ''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'' से सम्बन्धित अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि – राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतः, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, में अन्तर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही अर्थात् वर्ष 1951–52 ''पिछड़ी जाति कल्याण विभाग'' की स्थापना की गयी। कालान्तर में विभाग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1955–56 में विभाग का नाम ''समाज कल्याण विभाग'' कर दिया। वर्ष 2006–07 में समाज कल्याण विभाग का नाम ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' कर दिया गया है। समाज के आर्थिक रूप से गरीब यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा बच्चों के उत्थान हेतु अनेक विकासीय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, इनमें विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का मुख्य स्थान है। पेंशन योजना का मुख्य उद्धेश्य पात्र व्यक्तियों/महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

## 1.2 विधवा/परित्यक्ता पेंशन :

### 1.2.1 पृष्ठभूमि :

1.2.1.1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा वर्ष 1951 से ''पंचवर्षीय विकास योजना'' पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, सिंचाई, विद्युत, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, गरीबी निवारण, आधारभूत सुविधाओं का सृजन आदि कार्यक्रम को प्राथमिकता पर लिया गया है।

1.2.1.2 सामाजिक विकास के क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल एवं सुगम यातायात सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1974 से सामाजिक पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रति ***परिशिष्ट–I*** पर संलग्न है। किसी भी आयु की विधवा महिला को प्रारम्भ में 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही थी। दिनांक 1–4–2006 से 65 वर्ष या इससे अधिक की विधवा महिला को 400 रुपये पेंशन दी जा रही है। पेंशन नियम,1974 के अन्तर्गत यदि किसी दम्पत्ति (पति एवं पत्नि) दोनों में से किसी की भी आयु 65 वर्ष या अधिक है तो संयुक्त पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह दी जाती है तथा दोनों की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर 600 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिनांक 17–6–2006 एवं 6–9–2006 के आदेश ***परिशिष्ट–II*** एवं ***परिशिष्ट–III*** पर संलग्न है। दिनांक 1–7–2006 से विधवा पेंशनरों को 10 किलो गेहूँ के बदले 50 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है, विभाग के दिनांक 21–4–2007 के आदेश के अनुसार 1–4–2007 से सभी विधवाओं को 400 रुपये पेंशन दी जा रही है दिनांक 21–4–2007 का जारी आदेश की प्रति ***परिशिष्ट–IV*** पर उपलब्ध है।

1.2.2 **पात्रता (विधवा / परित्यक्ता पेंशन हेतु) :**

(1) किसी भी आयु की विधवा / परित्यक्ता

(2) विधवा / परित्यक्ता महिला निराश्रित हो

(3) राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो तथा आवेदन दिनांक को कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में निवास कर रही हो

(4) नियमित आय का कोई साधन नहीं हो
(प्रकट आय के स्त्रोत जैसे किराया, ब्याज, लाभांश, लाभ, सेवा या अनुदान या वृत्ति एवं व्यवसाय, कारोबार, व्यापार या उद्योग से आय) सीमान्त कृषकों के लिये निहित सीमा से आधी से कम कृषि भूमि की आय को नियमित आय नहीं माना गया है।

(5) परिवार का कोई सदस्य (पति, पुत्र, दत्तक पुत्र या पौत्र) 20 वर्ष या अधिक आयु का न हो या ऐसा सदस्य, परिवार के उपरोक्त सदस्य स्वयं अक्षम हो या कमाने में असमर्थ हो।

(6) उपरोक्त में से किसी बातों के होते हुए भी विधवा/परित्यक्ता, जो ऐसे परिवार की है जिस परिवार को अन्त्योदय कार्यक्रम या आई.आर.डी.पी. के अधीन सर्वेक्षण में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में चयनित हो, भी विधवा/परित्यक्ता पेंशन के लिए पात्र होगी।

### 1.2.3 आवेदन एवं स्वीकृति :

1.2.3.1 विधवा पेंशन योजना के तहत प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र भरकर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं। संबंधित कोष, उपकोष कार्यालय द्वारा पेंशन वितरण का कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में विधवा पेंशन हेतु आवेदन पत्र, जाँच अधिकारी रिपोर्ट, स्वीकृति कर्त्ता के आदेश, आवेदन पत्र का रजिस्टर एवं भुगतान रजिस्टर के प्रारूप ***परिशिष्ट–V*** पर संलग्न है।

## 1.3 पेंशन योजना की प्रगति (विधवा/परित्यक्ता) :

1.3.1 राज्य में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना वर्ष 1974 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत पात्रताधारी अभ्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन राशि का वितरण किया जा रहा है। राज्य में गत तीन वर्षों की योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी–1**

**योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति**

| वर्ष | बजट आवंटन (लाख रूपये में) | जिलों को वितरित राशि | व्यय (लाख रूपये में) | व्यय का प्रतिशत | लाभान्वित (संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 2003–04 | 4000.00 | 3661.25 | 3659.20 | 99.94 | 174228 |
| 2004–05 | 4000.00 | 4181.32 | 4148.96 | 99.22 | 200816 |
| 2005–06 | 4800.00 | 4959.52 | 4959.50 | 99.99 | 223377 |

1.3.2 उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के व्यय व लाभार्थियों में गत तीन वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003–04 में जहाँ 3659.20 लाख रुपये व्यय कर 1.74 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया वहीं लाभान्वितों की संख्या 2005–06 में बढ़कर 2.23 लाख हो गयी तथा योजना के तहत लगभग 49.59 लाख रुपये व्यय किये गये। विधवा पेंशन योजना के तहत गत तीन वर्षों में लाभान्वित महिलाओं का संभागवार/जिलेवार विवरण ***परिशिष्ट–VI*** में दर्शाया गया है।

## 1.4 अध्ययन की आवश्यकता :

1.4.1 राज्य सरकार के निर्देश पर समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच के अन्तर्गत संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के तहत देय राशि की पर्याप्तता व उपलब्धता से लाभार्थियों पर पडे प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

## 1.5 अध्ययन के उद्देश्य :

1.5.1 अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

(1) योजनान्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,

(2) योजनान्तर्गत लाभान्वितों को देय राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता (वितरण) एवं उपयोग का विश्लेषण करना,

(3) योजनान्तर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभाव का आकलन करना, एवं

(4) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाइयाँ/कमियाँ ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

## 1.6 न्यादर्श परिकल्पना :

1.6.1 समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है। अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धत्ति का उपयोग करते हुए प्रथम स्तर पर गत तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) में विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के लाभार्थियों को संभागवार घटते क्रम में व्यवस्थित कर सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन संभागों का चयन किया गया। इस प्रकार 50 प्रतिशत संभागों के चयन के पश्चात् प्रत्येक चयनित संभाग से गत तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्तकर्ताओं वाले एक जिले का चयन किया गया। जिले के चयन के पश्चात् चयनित जिले में शहरी क्षेत्र में स्थित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाओं में से सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता संख्या के आधार पर एक निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक पंचायत समिति का चयन तथा साधारण न्यादर्श पद्धति अपनाकर रेन्ड़म टेबिल के आधार पर जिले में स्थित दूसरे निकाय/पंचायत समिति का चयन किया गया।

1.6.2 इस प्रकार प्रत्येक चयनित जिले से दो नगर निकाय व दो पंचायत समितियों का चयन होने के बाद प्रत्येक चयनित निकाय से दो–दो वार्ड तथा प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धति से (रेन्ड़म टेबिल) किया गया। प्रत्येक चयनित वार्ड/ग्राम पंचायत से 15–15 लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूची भरी गयी। यदि किसी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 15–15 लाभार्थी नहीं मिलने की स्थिति में नजदीक के वार्ड एवं ग्राम पंचायत से शेष अनुसूचियाँ भरी गयी। लाभान्वितों का चयन वर्ष 2005–06 की सूची से किया गया।

## 1.7 सेम्पल साइज :

1.7.1 इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित तीन जिलों से 6 शहरी नगर निकायों व 6 पंचायत समितियों के क्रमशः 12–12 वार्डों व ग्राम पंचायतों से 360 लाभ प्राप्तकर्ताओं से साक्षात्कार का प्रावधान किया गया, लेकिन क्षेत्रीय कार्य के दौरान अजमेर व जयपुर जिलों से 120 लाभार्थियों के स्थान पर क्रमशः 115 व 116 लाभार्थियों से ही साक्षात्कार कर अनुसूचियाँ भरी जा सकी। चयनित जिलों, नगर निकायों, पंचायत समितियों के नाम व शहरी/ग्रामीणवार लाभार्थियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

**सारिणी–2**

**चयनित जिलों/नगर निकाय/पंचायत समिति/वार्ड व ग्राम पंचायतों व लाभार्थियों की संख्या का विवरण**

| क्र. सं. | संभाग मुख्यालय | चयनित जिला | चयनित नगर निकाय (शहरी) | पंचायत समिति (ग्रामीण) | वार्ड | ग्राम पंचायत | लाभार्थी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | शहरी | ग्रामीण | कुल |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | जयपुर | जयपुर | 2 ( 1.झोटवाड़ा 2.चाकसू ) | 2 ( 1.आमेर 2.बस्सी ) | 4 | 4 | 58 | 58 | 116 |
| 2. | उदयपरु | उदयपुर | 2 ( 1.उदयपुर 2.सलूम्बर ) | 2 ( 1.कोटडा 2.झाडोल ) | 4 | 4 | 60 | 60 | 120 |
| 3. | अजमेर | अजमेर | 2 ( 1.अजमेर 2.ब्यावर ) | 2 ( 1.मसूदा 2.जवाजा ) | 4 | 4 | 60 | 55 | 115 |
| | **3** | **3** | **6** | **6** | **12** | **12** | **178** | **173** | **351** |

1.7.2 उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन 351 लाभार्थियों पर आधारित है जिसमें 178 महिलाएं शहरी व 173 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से थी।

## 1.8 अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ :

### (1) प्रलेख अनुसूची :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति यथा– विभिन्न विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना में चयनित लाभार्थियों की संख्या एवं पेंशन राशि तथा राज्य सरकार/विभाग से प्राप्त राशि व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

### (2) लाभार्थी अनुसूची :

इस अनुसूची में पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों से पेंशन राशि के लिये आवेदन प्राप्ति, स्वीकृति, पर्याप्तता, समय पर प्राप्ति, राशि का उपयोग तथा सार्वजनिक जीवन में पड़े प्रभाव के बारे में तथा स्वीकृति व राशि मिलने में कठिनाईयों एवं निराकरण हेतु सुझावों का समावेश किया गया।

(3) **अधिकारी/गैर–अधिकारी अनुसूची :**

योजना से सम्बन्धित अधिकारी, उपखण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी तथा जन–प्रतिनिधि, वार्ड मेम्बर, पंच/सरपंच आदि से भरी गयी।

(4) **डाकघर अनुसूची :**

चयनित ग्राम पंचायत के डाकघर, जहाँ से लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त होती है, से डाकघर अनुसूची भरी गयी।

(5) **अवलोकन टिप्पणी :**

क्षेत्रीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्रीय कार्य करते समय लाभार्थी तथा योजना का लाभार्थी पर पड़े प्रभाव, लाभार्थी की सामाजिक स्थिति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पण प्राप्त की गयी। टिप्पण में उन बिन्दुओं का समावेश किया गया जिनके बारे में सूचना/विचार अनुसूची में नहीं आये है। संक्षेप में इस टिप्पण के माध्यम से तथ्यों पर आधारित गुणात्मक सूचना, कार्यक्रम की कमियाँ एवं सुझाव संकलित किये गये।

1.9 **संदर्भ अवधि :**

1.9.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचना वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर–अधिकारी एवं लाभार्थियों के विचार सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है। अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य 15 नवम्बर,2006 से 15 मार्च,2007 तक सम्पन्न किया गया।

————

# अध्याय–द्वितीय

## प्रगति समीक्षा

2.1 राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत निराश्रित व्यक्तियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1974 से विधवा पेंशन दी जा रही है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत देय पेंशन दरें समय–समय पर संशोधित की गयी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर पेंशन के संशोधित आदेश एवं परिपत्र जारी किए गये हैं जिनकी एक–एक प्रति ***परिशिष्ट–I*** से ***परिशिष्ट–VI*** तक उपलब्ध है। पेंशन की राशि न केवल महिला एवं पुरूष के लिए भिन्न है बल्कि आयु पर भी आधारित है। अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रचलित पेंशन को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

### सारिणी–3

### सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त पेंशन की राशि

| क्र.सं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला | 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
| 2. | किसी भी आयु की विधवा लेकिन 65 वर्ष से कम | 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं दिनांक 01–07–06 से गेहूँ के लिए 50 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त |
| 3. | 58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम तक का पुरूष | 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
| 4. | 65 वर्ष एवं उससे अधिक का पुरूष अथवा महिला / विधवा | 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
| 5. | पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन)<br>दोनों ही 65 वर्ष से कम हो | 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
| 6. | पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन)<br>65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के होने पर | 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
| 7. | पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन)<br>दम्पत्ति में से किसी एक की भी आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर | 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन |

2.1.1 राज्य सरकार द्वारा की गयी बजट घोषणा 2007–08 के बिन्दु संख्या 74 (1) की क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान विधवा पेंशन नियम,1974 के अन्तर्गत विधवा की पेंशन रुपये 250/– (मय रुपये 50/– गेहूँ के बदले शामिल करते हुए) प्रतिमाह के स्थान पर दिनांक 1–4–07 से 400 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। आदेश की प्रति ***परिशिष्ट–IV*** पर उपलब्ध है।

## 2.2 राज्य स्तरीय प्रगति :

### 2.2.1 भौतिक प्रगति :

2.2.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त विधवा पेंशन के लाभार्थियों की गत तीन वर्षों की भौतिक प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गई है तथा जिलेवार प्रगति ***परिशिष्ट– VI*** पर उपलब्ध है।

**सारिणी–4**

**विधवा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक की भौतिक प्रगति**

| क्र.सं. | वर्ष | लाभान्वितों की संख्या |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | 2003–04 | 174228 |
| 2. | 2004–05 | 200816 |
| 3. | 2005–06 | 223377 |
| 4. | 2006–07 | 282761 |
| 5. | 2007–08 (लक्ष्य) | 310610 |

2.2.1.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि राज्य में विधवा लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003–04 में जहाँ 1.74 लाख विधवाओं को पेंशन दी गयी वहीं यह संख्या वर्ष 2004–05 में बढ़कर 2.00 लाख व वर्ष 2005–06 में 2.23 लाख हो गयी। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006–07 में 2.82 लाख विधवाओं को पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है एवं वर्ष 2007–08 में 3.10 लाख विधवाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः विभाग द्वारा विधवाओं को लाभान्वित करने की संख्या में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ***परिशिष्ट–VI*** में जिलेवार लाभान्वितों की संख्या का विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

### 2.2.2 वित्तीय प्रगति :

2.2.2.1 विधवा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2007–08 का संशोधित बजट प्रावधान व व्यय राशि निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

## सारिणी–5

## विधवा पेंशन योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों का बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | वर्ष | संशोधित बजट आवंटन | व्यय राशि | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | 2003–04 | 4000.00 | 3661.25 | 99.94 |
| 2. | 2004–05 | 4000.00 | 4181.32 | 99.22 |
| 3. | 2005–06 | 4800.00 | 4959.52 | 99.99 |
| 4. | 2006–07 | 6000.00 | 5779.87 | 96.33 |

2.2.2.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से स्पष्ट है कि विधवा पेंशन योजनान्तर्गत जिलों को वितरित की जाने वाली राशि एवं तदनुसार व्यय की गयी राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006–07 में 6000 लाख का संशोधित बजट के प्रावधान के विरूद्ध 5779.87 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

### 2.3 चयनित जिलों में विधवा पेंशन :

2.3.1 जिला स्तर पर पेंशन के लाभार्थियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों को विकास अधिकारी के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों को उपखण्ड़ अधिकारी के माध्यम से पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थी ग्राम पंचायत (ग्राम सेवक) के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र भरकर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद पंचायत समिति स्तर पर स्क्रूटनी के पश्चात् जो फार्म सही पाए जाते हैं उन्हें विकास अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा जिन आवेदन पत्रों में कमियाँ पायी जाती हैं उन्हें सम्बन्धित लाभार्थी को पुनः लौटा दिया जाता है। विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद पी.पी.ओ. नम्बर जारी कर उसकी प्रति कोषालय, उप–कोषालय एवं सम्बन्धित लाभार्थी को प्रेषित कर दी जाती है। कोषालय/ उप–कोषालय को स्वीकृति की प्रति प्राप्त होने पर सम्बन्धित लाभार्थी को मनीआर्डर अथवा नकद द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है।

### 2.4 चयनित जिलों में विधवा पेंशन की प्रगति :

2.4.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जिलेवार सूचनाएं एकत्रित करने के साथ चयनित जिलों से भी पेंशन सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित की गयी। राज्य स्तर से (मुख्यालय) से प्राप्त जिलेवार सूचना तथा चयनित जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

## सारिणी–6

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना अन्तर्गत 2003–04 से 2005–06 की चयनित/जिलेवार लाभान्वितों की संख्या

| क्र. सं. | जिला | 2003–04 | | 2004–05 | | 2005–06 | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त | जिले द्वारा प्रदत्त | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त | जिले द्वारा प्रदत्त | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त | जिले द्वारा प्रदत्त | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त | जिले द्वारा प्रदत्त |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | जयपुर | 9442 | 8303 | 10084 | 9991 | 10582 | 10918 | 30108 | 29212 |
| 2. | उदयपुर | 14435 | 20976 | 16413 | 22682 | 17816 | 19534 | 48664 | 63192 |
| 3. | अजमेर | 10232 | 10365 | 11458 | 11350 | 12175 | 11775 | 33865 | 33490 |
| | **योग** | **34109** | **39644** | **37955** | **44023** | **40573** | **42227** | **112637** | **125894** |

2.4.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त विधवा पेंशन के लाभार्थियों (वर्ष 2003–04 से 2005–06) की संख्या जिले से प्राप्त सूचना से मेल नहीं खाती है, कभी जिलों से प्राप्त सूचनाएं अधिक है तो कभी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचनाएं। इसका प्रमुख कारण सम्भवतया मार्च की सूचनाओं को उसी वर्ष में सम्मिलित किया गया अथवा अगले वर्ष में सम्मिलित किया जाना रहा होगा। अतः सिफारिश की जाती है कि 31 मार्च तक की सूचनाओं को उसी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किया जावें तथा राज्य स्तर व जिले स्तर की सूचनाओं में किसी प्रकार का अन्तर न रहे। उपर्युक्त सारिणी में चयनित जिले जयपुर व अजमेर की विभाग एवं जिले की सूचनाओं में बहुत कम अन्तर है लेकिन उदयपुर जिले में अत्याधिक अन्तर पाया गया। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003–04 से वर्ष 2005–06 तक 48664 विधवाओं को पेंशन दी गयी जबकि जिले में प्राप्त सूचना के अनुसार इसी अवधि में लाभान्वितों की संख्या 63192 थी।

### 2.5 आवेदकों की संख्या एवं जारी पेंशन :

2.5.1 जिला स्तर से यह सूचना भी एकत्रित करने का प्रयास किया गया कि कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये एवं सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् कितने आवेदकों को पेंशन स्वीकृत कर पी.पी.ओ. जारी किया गया और कितने स्वीकृत कर्त्ताओं को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिले से प्राप्त सूचनाओं को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

## सारिणी–7
## आवेदन पत्र स्वीकृति का विवरण (विधवा/परित्यक्ता)

| क्र. सं. | चयनित जिला | कुल आवेदन पत्र प्राप्त हुये | | | कितने आवेदकों को पी.पी.ओ. जारी किये गये | | | कितने आवेदकों नियमित रूप से भुगतान किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | जयपुर | N.A. | N.A. | N.A. | 8308 | 9991 | 10948 | 8308 | 9991 | 10948 |
| 2. | उदयपुर | 21000 | 23000 | 20000 | 20976 | 22682 | 19534 | 20976 | 22682 | 19534 |
| 3. | अजमेर | 612 | 2638 | 4328 | 612 | 2638 | 4328 | 612 | 2638 | 4328 |
| | **योग** | **21612** | **25638** | **24328** | **29896** | **35311** | **34810** | **29896** | **35311** | **34810** |

2.5.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से विदित होता है कि अजमेर जिले में प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों में किसी भी वर्ष में कोई अन्तर नहीं है तथा सभी स्वीकृत आवेदकों को पी.पी.ओ. जारी कर नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है लेकिन उदयपुर जिले में प्रति वर्ष प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुछ प्रार्थना पत्र निरस्त हुए हैं एवं शेष को पी.पी.ओ. जारी किया गया है। उदयपुर जिले में वर्ष 2003–04 में 24, 2004–05 में 318 एवं वर्ष 2005–06 में 466 आवेदन पत्र निरस्त किये गये। जयपुर जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचना उपलब्ध न होने के कारण विश्लेषण संभव नहीं हो सका। जिले में पेंशन अस्वीकृत होने का प्रमुख कारण अपूर्ण फार्म भरना अथवा विधवा महिला का पेंशन हेतु योग्य (Eligible) न होना बताया गया। जिस विधवा महिला के बालिग पुत्र हो, जमीन–जायदाद अथवा अन्य प्रोपर्ट्री हो उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती। कई बार ऐसी विधवा महिलाएं भी आवेदन कर देती है अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

### 2.6 पेंशन राशि का भुगतान माध्यम :

2.6.1 सामान्यतया पेंशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाता है लेकिन पेंशन का भुगतान कोषालय से नकद रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है इसी प्रकार पेंशन राशि को बैंक में जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है लेकिन सबसे लोकप्रिय साधन मनीआर्डर ही है। चयनित जिलों में लाभप्राप्तकर्त्ताओं को भुगतान का तरीका निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

## सारिणी–8
## पेंशन राशि के भुगतान का माध्यम

(लाभार्थियों की संख्या)

| क्र. सं. | चयनित जिला | कोषालय से नकद भुगतान | मनीआर्डर द्वारा | योग |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | जयपुर | 2190 | 8758 | 10948 |
| 2. | उदयपुर | – | 19534 | 19534 |
| 3. | अजमेर | – | 4328 | 4328 |

## 2.7 पेंशन का नियमित वितरण :

2.7.1 यह एक हर्ष का विषय है कि कोषालय द्वारा पेंशन का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। चयनित जिलों के चयनित लाभार्थियों के अनुसार भी उन्हें नियमित (प्रतिमाह/प्रति दो माह बाद) रूप से पेंशन प्राप्त हो रही थी। यदि कोई लाभप्राप्तकर्त्ता किसी कारणवश किसी माह में पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं कर पाता तो दो अथवा तीन माह की पेंशन का भुगतान एकमुश्त कर दिया जाता है।

————

# अध्याय तृतीय

## अध्ययन परिणाम

3.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के अध्ययन हेतु सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन (50 प्रतिशत) सम्भागों का चयन कर प्रत्येक चयनित सम्भाग से गत तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्तकर्ता वाले एक जिले का चयन किया गया। जिले के चयन के पश्चात् चयनित जिले से दो नगर निकाय व दो पंचायत समितियों का चयन किया। प्रत्येक चयनित नगर निकाय के दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन कर प्रत्येक चयनित क्षेत्र से 15–15 लाभार्थियों का चयन किया गया। प्रस्तुत अध्याय 351 लाभप्राप्तकर्ताओं, 14 प्रलेख अनुसूचियों 55 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों एवं मूल्यांकन दल के अवलोकन पर आधारित हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान पेंशन आवेदन से लेकर स्वीकृति वितरण, पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयाँ, पेंशन का उपयोग आदि पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ Case Studies भी की गयी है। अध्ययन के न्यादर्श के अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

### सारिणी संख्या–9
### न्यादर्श अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

(संख्या)

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | न्यादर्श अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जिला प्रलेख | नगर निकाय | पंचायत समिति | लाभार्थी (शहरी) | लाभार्थी (ग्रामीण) | योग | सरकारी/ गैर सरकारी | डाकघर अनुसूची |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | जयपुर | 1 | 2 | 2 | 58 | 58 | 116 | 9 | 5 |
| 2 | उदयपुर | 1 | 1 | 2 | 60 | 60 | 120 | 37 | 2 |
| 3 | अजमेर | 1 | 2 | 2 | 60 | 55 | 115 | 9 | – |
| | **योग** | **3** | **5** | **6** | **178** | **173** | **351** | **55** | **7** |

## 3.2 लाभार्थियों का सामान्य विवरण :

### 3.2.1 आयु :

3.2.1.1 विधवा/परित्यक्ता पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं का चयनित जिलेवार एवं शहरी ग्रामीणवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–10**

**लाभार्थियों की आयु का विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | लाभार्थी की आयु | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0–25 | 26–50 | 51–75 | 76 एवं ऊपर |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 58 | 3 | 39 | 16 | – |
| | ग्रामीण | 58 | 5 | 38 | 14 | 1 |
| | **योग** | **116** | **8** | **77** | **30** | **1** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 4 | 34 | 22 | – |
| | ग्रामीण | 60 | 1 | 39 | 20 | – |
| | **योग** | **120** | **5** | **73** | **42** | **–** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 1 | 47 | 12 | – |
| | ग्रामीण | 55 | 2 | 39 | 14 | – |
| | **योग** | **115** | **3** | **86** | **26** | **–** |
| 4. | **महायोग** | | | | | |
| | शहरी | 178 | 8 | 120 | 50 | – |
| | ग्रामीण | 173 | 8 | 116 | 48 | 1 |
| | **कुलयोग** | **351** | **16** | **236** | **98** | **1** |
| | **प्रतिशत** | | **4.6** | **67.2** | **27.9** | **0.3** |

3.2.1.2 उपर्युक्त तालिका को देखने से विदित होता है कि चयनित 351 विधवाओं में से सर्वाधिक 236(67.2 प्रतिशत) महिलाएँ 26 से 50 वर्ष की आयु की थी। 98(27.9 प्रतिशत) 51 से 75 वर्ष, 16(4.6 प्रतिशत) 25 वर्ष से कम आयु की एवं 1 महिला 76 वर्ष से भी अधिक आयु की थी।

3.2.1.3 चयनित जिलेवार एवं ग्रामीण शहरी निकायवार विश्लेषण भी यही दर्शाता है कि चयनित वार्ड/निकाय में भी अधिकांश महिलाओं की आयु 26 से 50 वर्ष के मध्य थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश महिलाएं 50 वर्ष की उम्र के पूर्व ही विधवा हो गयी थी।

3.2.2 **जाति** :

3.2.2.1 चयनित लाभार्थियों का जातिवार वर्गीकरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–11**

**लाभार्थियों का जातिवार विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | जाति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 58 | 25 | 1 | 3 | 29 |
| | ग्रामीण | 58 | 24 | 6 | 12 | 16 |
| | **योग** | **116** | **49** | **7** | **15** | **45** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 7 | 8 | 18 | 27 |
| | ग्रामीण | 60 | 6 | 38 | 8 | 8 |
| | **योग** | **120** | **13** | **46** | **26** | **35** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 21 | 1 | 29 | 9 |
| | ग्रामीण | 55 | 12 | 2 | 40 | 1 |
| | **योग** | **115** | **33** | **3** | **69** | **10** |
| 4. | **महायोग** | | | | | |
| | शहरी | 178 | 53 | 10 | 50 | 65 |
| | ग्रामीण | 173 | 42 | 46 | 60 | 25 |
| | **कुलयोग** | **351** | **95** | **56** | **110** | **90** |
| | **प्रतिशत** | | **27.1** | **16.0** | **31.3** | **25.6** |

3.2.2.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विधवा पेंशन हेतु सभी जाति की महिलाओं का चयन हुआ था। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जाति में गरीब एवं विधवा महिलाएं थी। 351 लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 110(31.3 प्रतिशत) महिलाएं पिछड़ी जाति की, 95(27.1 प्रतिशत) महिलाएं अनुसूचित जाति, 56(16.0 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति की एवं शेष 90(25.6 प्रतिशत) अन्य जाति की थी।

3.2.3 **साक्षर** :

3.2.3.1 चयनित 351 विधवा महिलाओं के साक्षर/निरक्षर की जिलेवार सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

## सारिणी संख्या–12
## लाभार्थियों का शैक्षणिक स्तर

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | साक्षर | निरक्षर |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | **जयपुर** | | | |
| | शहरी | 58 | 12 | 46 |
| | ग्रामीण | 58 | 2 | 56 |
| | **योग** | **116** | **14** | **102** |
| 2. | **उदयपुर** | | | |
| | शहरी | 60 | 16 | 44 |
| | ग्रामीण | 60 | 3 | 57 |
| | **योग** | **120** | **19** | **101** |
| 3. | **अजमेर** | | | |
| | शहरी | 60 | 14 | 46 |
| | ग्रामीण | 55 | 8 | 47 |
| | **योग** | **115** | **22** | **93** |
| 4. | **महायोग** | | | |
| | शहरी | 178 | 42 | 136 |
| | ग्रामीण | 173 | 13 | 160 |
| | **कुलयोग** | **351** | **55** | **296** |
| | **प्रतिशत** | | **15.7** | **84.3** |

3.2.3.2 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 351 विधवाओं में से 296 अर्थात 84.3 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर थी एवं मात्र 55(15.7 प्रतिशत) महिलाएं ही साक्षर पायी गयी। उपर्युक्त सारिणी का शहरी/ग्रामीण विश्लेषण यह दर्शाता है कि चयनित 178 शहरी विधवाओं में से 42(23.6 प्रतिशत) साक्षर थी जबकि चयनित 173 ग्रामीण विधवाओं में से मात्र 13(7.5 प्रतिशत) साक्षर थी। राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाने के बावजूद इतनी अधिक संख्या में महिलाओं का निरक्षर होना वास्तव में विचारणीय एवं शोचनीय है।

### 3.2.4 मूल निवासी :

3.2.4.1 चयनित 351 विधवाओं में से 350 महिलाएं राज्य की मूल निवासी थी केवल उदयपुर के शहरी निकाय की एक महिला नीमच, मध्यप्रदेश की रहने वाली थी। यह विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि राजस्थानी महिलाओं के विवाह राजस्थान में ही हुए हैं।

## 3.3 पारिवारिक विवरण :

### 3.3.1 परिवार में सदस्यों की संख्या :

3.3.1.1 चयनित विधवा महिलाओं के परिवार में सदस्यों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–13**

**चयनित विधवाओं के परिवारों में सदस्य संख्या**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | औसत संख्या | कुल सदस्य | पुरूष | महिला | बच्चे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 3 | 203 | 21 | 79 | 103 |
| | ग्रामीण | 58 | 3 | 198 | 7 | 76 | 115 |
| | **योग** | **116** | | **401** | **28** | **155** | **218** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 2 | 135 | 2 | 63 | 70 |
| | ग्रामीण | 60 | 3 | 158 | 5 | 63 | 90 |
| | **योग** | **120** | | **293** | **7** | **126** | **160** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 3 | 198 | 4 | 68 | 126 |
| | ग्रामीण | 55 | 3 | 167 | 7 | 64 | 96 |
| | **योग** | **115** | | **365** | **11** | **132** | **222** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 3 | 536 | 27 | 210 | 299 |
| | ग्रामीण | 173 | 3 | 523 | 19 | 203 | 301 |
| | **कुलयोग** | **351** | | **1059** | **46** | **413** | **600** |
| | **प्रतिशत** | | | | **4.3** | **39.0** | **56.7** |

3.3.1.2 उपर्युक्त सारिणी का अध्ययन यह दर्शाता है कि 351 परिवारों में कुल 1059 सदस्य थे अर्थात एक परिवार में औसतन तीन सदस्य थे। सारिणी का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुल सदस्यों में पुरूष मात्र 46(4.3 प्रतिशत) थे। जबकि महिलाएं 413 एवं बच्चों की संख्या 600 थी और पुरूष, महिला एवं बच्चों का यह अनुपात सभी जिलों में लगभग यही था। प्रति परिवार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य संख्या भी लगभग समान पायी गयी।

3.3.2 **परिवार में कमाने वाले सदस्यों का विवरण** :

3.3.2.1 चयनित 351 विधवा परिवारों में कमाने वाले सदस्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारणी संख्या–14**

**चयनित विधवाओं के परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | कमाने वाले सदस्यों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | निल | 1 | 2 | 3 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 58 | 8 | 41 | 8 | 1 |
| | ग्रामीण | 58 | 10 | 35 | 11 | 2 |
| | **योग** | **116** | **18** | **76** | **19** | **3** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 16 | 42 | 2 | – |
| | ग्रामीण | 60 | 12 | 45 | 2 | 1 |
| | **योग** | **120** | **28** | **87** | **4** | **1** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 9 | 48 | 3 | – |
| | ग्रामीण | 55 | 2 | 48 | 5 | – |
| | **योग** | **115** | **11** | **96** | **8** | **–** |
| 4. | **महायोग** | | | | | |
| | शहरी | 178 | 33 | 131 | 13 | 1 |
| | ग्रामीण | 173 | 24 | 128 | 18 | 3 |
| | **कुलयोग** | **351** | **57** | **259** | **31** | **4** |
| | **प्रतिशत** | | **16.3** | **73.8** | **8.8** | **0.8** |

3.3.2.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 57(16.3 प्रतिशत) परिवार ऐसे थे जिनमें एक भी सदस्य कमाने वाला नहीं था, 259(73.8 प्रतिशत) परिवारों में केवल एक सदस्य कमाने वाला था, 31(8.8 प्रतिशत) परिवारों में 2 सदस्य कमाने वाले एवं 4 परिवारों में तीन सदस्य कमाने वाले थे।

3.3.3 **परिवार में पशुधन** :

3.3.3.1 चयनित परिवारों में पशुधन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारणी संख्या–15**

**चयनित परिवारों में पशुधन का विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | कोई भी पशुधन नहीं | बकरी/भेड़ वाले परिवारों की संख्या | पशुओं की संख्यावार परिवार | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 पशु | 2 पशु | 3 पशु | 3 से अधिक पशु |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 54 | 4 | – | – | – | – |
| | ग्रामीण | 58 | 46 | 8 | 4 | – | – | – |
| | **योग** | **116** | **100** | **12** | **4** | **–** | **–** | **–** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 60 | – | – | – | – | – |
| | ग्रामीण | 60 | 42 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| | **योग** | **120** | **102** | **8** | **2** | **4** | **1** | **3** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 51 | 8 | 1 | – | – | – |
| | ग्रामीण | 55 | 31 | 22 | 2 | – | – | – |
| | **योग** | **115** | **82** | **30** | **3** | **–** | **–** | **–** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 165 | 12 | 1 | – | – | – |
| | ग्रामीण | 173 | 119 | 38 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| | **कुलयोग** | **351** | **284** | **50** | **9** | **4** | **1** | **3** |
| | **प्रतिशत** | | **80.9** | **14.2** | **2.6** | **1.1** | **0.3** | **0.9** |

3.3.3.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित 351 परिवारों में से 284 अर्थात 80.9 प्रतिशत परिवारों के पास किसी प्रकार का पशुधन उपलब्ध नहीं था। 50 परिवारों के पास भेड़/बकरी थी, 9 परिवारों के पास केवल एक पशु गाय, भैंस या ऊँट था, 4 परिवारों के पास दो पशु थे, 1 परिवार के पास 3 पशु एवं शेष 3 परिवारों के पास तीन से अधिक पशु थे। पशुओं में भी शहरी क्षेत्र के परिवारों के पास पशु कम थे जबकि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के पास पशु अधिक थे। संक्षेप में चयनित विधवाओं के परिवारों में पशुधन भी नहीं के बराबर था जो यह दर्शाता है कि चयनित महिलाएँ वास्तव में निर्धन थी।

3.3.4 **परिवार की वार्षिक आय** :

3.3.4.1 चयनित विधवाओं के परिवार की वार्षिक आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–16**

**चयनित परिवारों की वार्षिक आय**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | वार्षिक आय (हजार रुपये में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 हजार से कम | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20 से अधिक | आय का कोई स्त्रोत नहीं |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 5 | 27 | 15 | 5 | – | 6 |
| | ग्रामीण | 58 | 11 | 21 | 10 | 1 | 7 | 8 |
| | **योग** | **116** | **16** | **48** | **25** | **6** | **7** | **14** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 22 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| | ग्रामीण | 60 | 38 | 17 | 3 | – | – | 2 |
| | **योग** | **120** | **60** | **48** | **5** | **3** | **1** | **3** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 14 | 24 | 12 | 2 | 1 | 7 |
| | ग्रामीण | 55 | 26 | 24 | 2 | 1 | – | 2 |
| | **योग** | **115** | **40** | **48** | **14** | **3** | **1** | **9** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 41 | 82 | 29 | 10 | 2 | 14 |
| | ग्रामीण | 173 | 75 | 62 | 15 | 2 | 7 | 12 |
| | **कुलयोग** | **351** | **116** | **144** | **44** | **12** | **9** | **26** |
| | **प्रतिशत** | | **33.0** | **41.0** | **12.5** | **3.4** | **2.6** | **7.5** |

3.3.4.2 चयनित 351 विधवा परिवारों में से 26 महिलाओं ने बताया कि उनकी आय का कोई स्त्रोत नहीं है ये सभी वे महिलाएं थी जो अकेली रहती थी और किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं कर रही थी अर्थात सरकार से मिलने वाली पेंशन से ही अपना निर्वाह कर रही थी। 116(33.0 प्रतिशत) परिवारों की वार्षिक आय 5000 से भी कम थी जबकि सर्वाधिक 144(41.0 प्रतिशत) परिवारों की आय 5 से 10 हजार के मध्य थी। संक्षेप में चयनित 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ अत्यधिक गरीब थी। 44(12.5 प्रतिशत) परिवारों की आय 10 से 15 हजार के बीच, 12(3.4 प्रतिशत) परिवारों की आय 15 से 20 हजार के बीच एवं मात्र 9(2.6 प्रतिशत) परिवारों की आय 20 हजार रूपये वार्षिक से अधिक थी।

3.5 **पेंशन स्वीकृति वर्ष में व्यवसाय** :

3.5.1 चयनित 351 विधवाओं द्वारा पेंशन स्वीकृति वर्ष में की जा रही आर्थिक गतिविधियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–17**

**पेंशन स्वीकृति वर्ष में व्यवसाय का विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | पेंशन स्वीकृति वर्ष में क्या कर रहे थे | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कृषि | मजदूरी | नौकरी | स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय | कुछ नहीं |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 1 | 20 | 8 | 23 | 6 |
| | ग्रामीण | 58 | 4 | 36 | 4 | 8 | 6 |
| | **योग** | **116** | **5** | **56** | **12** | **31** | **12** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 30 | 10 | 12 | 8 |
| | ग्रामीण | 60 | 17 | 33 | – | 4 | 6 |
| | **योग** | **120** | **17** | **63** | **10** | **16** | **14** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 32 | 10 | 16 | 2 |
| | ग्रामीण | 55 | 13 | 34 | 3 | 3 | 2 |
| | **योग** | **115** | **13** | **66** | **13** | **19** | **4** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 1 | 82 | 28 | 51 | 16 |
| | ग्रामीण | 173 | 34 | 103 | 7 | 15 | 14 |
| | **कुलयोग** | **351** | **35** | **185** | **35** | **66** | **30** |
| | **प्रतिशत** | | **10.0** | **52.7** | **10.0** | **18.8** | **8.5** |

3.5.2 उपर्युक्त सारिणी यह दर्शाती है कि शहरी विधवाओं अथवा ग्रामीण अधिकांश विधवाएँ गरीब होने के कारण मजदूरी कर अपना भरण पोषण कर रही थी। चयनित 351 विधवाओं में से 185(52.7 प्रतिशत) मजदूरी, 66(18.8 प्रतिशत) स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय, 35(10.0 प्रतिशत) नौकरी एवं शेष 35 महिलाएं (10.0 प्रतिशत) कृषि सम्बन्धी कार्य कर रही थी। कुछ महिलाओं द्वारा एक से अधिक गतिविधि भी बतायी गयी। चयनित विधवाओं में 30(8.5 प्रतिशत) महिलाएँ कोई भी कार्य नहीं कर रही थी। इनमें से 28 विधवाएँ 50 वर्ष से अधिक आयु की होने के कारण कोई कार्य नहीं कर रही थी।

3.5.3 चयनित लाभार्थियों से वर्तमान/सर्वेक्षण दिनांक को क्या कार्य कर रही है पूछे जाने पर प्राप्त प्रत्युत्तर निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

**सारिणी संख्या–18**
**वर्तमान में किये जा रहे कार्य का विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | वर्तमान में क्या कर रहे हैं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कृषि | मजदूरी | नौकरी | स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय | कुछ नहीं |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 58 | – | 23 | 1 | 18 | 16 |
| | ग्रामीण | 58 | 3 | 30 | – | 7 | 18 |
| | **योग** | **116** | **3** | **53** | **1** | **25** | **34** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 28 | 4 | 5 | 23 |
| | ग्रामीण | 60 | 15 | 31 | – | 2 | 12 |
| | **योग** | **120** | **15** | **59** | **4** | **7** | **35** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 28 | 5 | 9 | 18 |
| | ग्रामीण | 55 | 10 | 39 | 1 | 2 | 3 |
| | **योग** | **115** | **10** | **67** | **6** | **11** | **21** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | |
| | शहरी | 178 | – | 79 | 10 | 32 | 57 |
| | ग्रामीण | 173 | 28 | 100 | 1 | 11 | 33 |
| | **कुलयोग** | **351** | **28** | **179** | **11** | **43** | **90** |
| | **प्रतिशत** | | **8.0** | **51.0** | **3.1** | **12.3** | **25.6** |

3.5.4 उपर्युक्त तालिका का यदि पेंशन स्वीकृति वर्ष में कार्य से तुलना की जावे तो यह तथ्य उभरकर आता है कि वर्तमान में काम नहीं करने वाली विधवाओं की संख्या पूर्व के 30 से बढ़कर 90 हो गयी है अर्थात् आयु बढ़ जाने के कारण विधवाओं ने काम करना बन्द कर दिया। यही कारण है कि कृषि, मजदूरी, नौकरी एवं स्वयं का व्यवसाय करने वाली महिलाओं में सर्वेक्षण दिनांक को कमी आयी है।

## 3.6 विधवा महिलाओं के आवास :

3.6.1 चयनित 351 विधवा महिलाओं के आवास की स्थिति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

## सारिणी संख्या–19
## विधवाओं के आवास की स्थिति

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | स्वयं का आवास | सरकारी योजना में प्राप्त | कच्चा | पक्का | कच्चा/ पक्का |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 36 | – | 8 | 27 | 1 |
| | ग्रामीण | 58 | 50 | – | 26 | 20 | 4 |
| | **योग** | **116** | **86** | **–** | **34** | **47** | **5** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 46 | – | 30 | 12 | 4 |
| | ग्रामीण | 60 | 60 | 9 | 48 | 10 | 2 |
| | **योग** | **120** | **106** | **9** | **78** | **22** | **6** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 40 | 3 | 37 | – | 3 |
| | ग्रामीण | 55 | 50 | 3 | 28 | 14 | 8 |
| | **योग** | **115** | **90** | **6** | **65** | **14** | **11** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 122 | 3 | 75 | 39 | 8 |
| | ग्रामीण | 173 | 160 | 12 | 102 | 44 | 14 |
| | **कुलयोग** | **351** | **282** | **15** | **177** | **83** | **22** |
| | **प्रतिशत** | | **80.3** | **4.3** | **50.4** | **23.6** | **6.3** |

3.6.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 351 विधवाओं में से 282 विधवाएँ स्वयं के आवास में रह रही थी जबकि शेष 69(19.7 प्रतिशत) विधवाओं के पास स्वयं के आवास नहीं थे। 69 महिलाओं में से 56 महिलाएं शहरी क्षेत्र में तथा मात्र 13 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में थी। अर्थात् शहरी महिलाएं किराए के मकान में रह रही थी। जिन 282 परिवारों के पास स्वयं के मकान थे उनमें से अधिकांश 177(62.8 प्रतिशत) कच्चे मकानों में, 83(29.4 प्रतिशत) पक्के मकानों में एवं शेष 22(7.8 प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों में रह रही थी। स्वंय के आवास में रहने वाली 15 महिलाओं के पास सरकारी मकान थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि :–

(i) ग्रामीण विधवाओं के पास शहरी विधवाओं की तुलना में स्वयं के अधिक आवास थे लेकिन अधिकांश आवास कच्चे थे।
(ii) शहरी महिलाएं पक्के लेकिन किराए के मकान में रह रही थी।
(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त 15 आवासों में से 12 ग्रामीण क्षेत्र के तथा मात्र 3 शहरी क्षेत्र में थे।

## 3.7 विधवा महिलाओं का रहवास :

3.7.1 विधवा महिलाओं से यह जानना आवश्यक समझा गया कि वे परिवार में किसके साथ रह रही है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तर निम्न सारिणी में दर्शाया गया है।

**सारिणी संख्या–20**

**विधवा महिलाओं का रहवास**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | किसके साथ रह रही है | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पीहर पक्ष के साथ | बच्चों के साथ | अकेली | बेटी के साथ |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 58 | 7 | 30 | 13 | 8 |
| | ग्रामीण | 58 | 2 | 29 | 16 | 11 |
| | **योग** | **116** | **9** | **59** | **29** | **19** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 27 | 24 | 9 |
| | ग्रामीण | 60 | 1 | 26 | 30 | 3 |
| | **योग** | **120** | **1** | **53** | **54** | **12** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | |
| | शहरी | 60 | 3 | 37 | 11 | 9 |
| | ग्रामीण | 55 | 2 | 37 | 9 | 7 |
| | **योग** | **115** | **5** | **74** | **20** | **16** |
| 4. | **महायोग** | | | | | |
| | शहरी | 178 | 10 | 94 | 48 | 26 |
| | ग्रामीण | 173 | 5 | 92 | 55 | 21 |
| | **कुलयोग** | **351** | **15** | **186** | **103** | **47** |
| | **प्रतिशत** | | **4.3** | **53.0** | **29.3** | **13.4** |

3.7.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि 103(29.3 प्रतिशत) अर्थात् एक तिहाई महिलाएं बिल्कुल अकेली रह रही थी। 15(4.3 प्रतिशत) महिलाएं जिनकी आयु 21 से 35 वर्ष के मध्य थी, पीहर पक्ष में अपने माता–पिता, भाई आदि के साथ रह रही थी। 47(13.4 प्रतिशत) महिलाएं अपनी बेटी के साथ एवं शेष 186(53.0 प्रतिशत) अर्थात लगभग चयनित आधी महिलाएं अपने बच्चों के साथ रह रही थी।

## 3.8 राशन कार्ड/बी पी एल कार्ड :

3.8.1 चयनित 351 महिलाओं में से अधिकांश अर्थात 344(98 प्रतिशत) महिलाओं के पास राशन कार्ड थे। मात्र 7(2.6 प्रतिशत) महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं थे। चयनित 351 महिलाओं में से 147(41.9 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी और 129 महिलाओं के पास बी पी एल कार्ड उपलब्ध थे। जिलेवार बी पी एल चयनित विधवाओं की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

## सारिणी संख्या–21
## बी पी एल चयनित विधवा महिलाएं

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | बी पी एल चयनित विधवा महिलाएँ | बी पी एल कार्ड बना हुआ है | मौके पर बी पी एल कार्ड पाया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | **जयपुर** | | | | |
| | शहरी | 58 | 13 | 13 | 6 |
| | ग्रामीण | 58 | 21 | 13 | 2 |
| | **योग** | **116** | **34** | **26** | **8** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | |
| | शहरी | 60 | 27 | 27 | 27 |
| | ग्रामीण | 60 | 34 | 28 | 23 |
| | **योग** | **120** | **61** | **55** | **50** |
| 3. | **अजमेर** | | | | |
| | शहरी | 60 | 28 | 28 | 25 |
| | ग्रामीण | 55 | 24 | 20 | 16 |
| | **योग** | **115** | **52** | **48** | **41** |
| 4. | **महायोग** | | | | |
| | शहरी | 178 | 68 | 68 | 58 |
| | ग्रामीण | 173 | 79 | 61 | 41 |
| | **कुलयोग** | **351** | **147** | **129** | **99** |
| | **प्रतिशत** | | **41.9** | **87.8** | **76.7** |

3.8.2 उपर्युक्त सारिणी यह दर्शाती है कि यद्यपि प्रत्येक जिले में बी पी एल महिलाएं थी लेकिन सर्वाधिक चयनित गरीब महिलाएं उदयपुर (61) तत्पश्चात अजमेर (52) एवं सबसे कम (34) जयपुर जिले में थी।

### 3.9 विधवाओं की पेंशन के संबंध में :

3.9.1 चयनित 351 विधवाओं को गत कितने वर्षों से पेंशन मिल रही है, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

## सारिणी संख्या–22

## अवधिवार पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिलाएं

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | 2000 से पूर्व | 2000 से 2002 | 2002 से 2004 | 2004 से 2006 | 2006 के पश्चात् |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 12 | 13 | 19 | 14 | – |
| | ग्रामीण | 58 | 10 | 15 | 1 | 19 | 13 |
| | **योग** | **116** | **22** | **28** | **20** | **33** | **13** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 26 | 9 | 7 | 13 | 5 |
| | ग्रामीण | 60 | 28 | 3 | 5 | 20 | 4 |
| | **योग** | **120** | **54** | **12** | **12** | **33** | **9** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | – | 4 | 56 | – |
| | ग्रामीण | 55 | – | – | 2 | 53 | – |
| | **योग** | **115** | **–** | **–** | **6** | **109** | **–** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 38 | 22 | 30 | 83 | 5 |
| | ग्रामीण | 173 | 38 | 18 | 8 | 92 | 17 |
| | **कुलयोग** | **351** | **76** | **40** | **38** | **175** | **22** |
| | **प्रतिशत** | | **21.6** | **11.4** | **10.8** | **49.9** | **6.3** |

3.9.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 175(49.9 प्रतिशत) विधवाओं को वर्ष 2004–06 में पेंशन स्वीकृत हुई है। 76(21.6 प्रतिशत) विधवाओं को वर्ष 2000 से पूर्व ही पेंशन प्राप्त हो रही थी। 40(11.4 प्रतिशत) विधवाओं को वर्ष 2000 से 2002 के मध्य, 38 को 2002 से 2004 के मध्य एवं शेष 22 को वर्ष 2006 के बाद पेंशन स्वीकृत हुई थी। संक्षेप में चयनित लाभार्थियों में सभी 8 वर्षों के लाभार्थी थे। जिलेवार विश्लेषण में केवल अजमेर ऐसा जिला था जिसमें 115 विधवाओं में से 109 विधवाओं को वर्ष 2004–06 के मध्य पेंशन स्वीकृत हुई थी। शेष सभी जिलों में सभी वर्षों के लाभार्थी थे।

## 3.10 पेंशन की जानकारी का माध्यम :

3.10.1 अनपढ़ एवं अशिक्षित विधवाओं से यह जानना आवश्यक समझा गया कि उनको पेंशन की जानकारी किस माध्यम से हुई। जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–23**

**पेंशन की जानकारी का माध्यम**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | ग्राम सेवक | सरपंच | पटवारी | अध्यापक | वार्ड पंच | पार्षद / सामाजिक कार्यकर्त्ता | वार्ड मेम्बर | अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 58 | – | – | – | – | – | – | 25 | 33 |
| | ग्रामीण | 58 | 12 | 22 | 3 | 8 | 13 | – | – | – |
| | **योग** | **116** | **12** | **22** | **3** | **8** | **13** | **–** | **25** | **33** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | – | – | – | – | – | 43 | 17 |
| | ग्रामीण | 60 | 32 | 39 | – | – | 18 | – | – | 1 |
| | **योग** | **120** | **32** | **39** | **–** | **–** | **18** | **–** | **43** | **18** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | – | – | – | – | 35 | 7 | 24 |
| | ग्रामीण | 55 | 13 | 17 | 1 | – | 33 | – | – | – |
| | **योग** | **115** | **13** | **17** | **1** | **–** | **33** | **35** | **7** | **24** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 178 | – | – | – | – | – | 35 | 75 | 74 |
| | ग्रामीण | 173 | 57 | 78 | 4 | 8 | 64 | – | – | 1 |
| | **कुलयोग** | **351** | **57** | **78** | **4** | **8** | **64** | **35** | **75** | **75** |
| | **प्रतिशत** | | **16.2** | **22.2** | **11.4** | **2.3** | **18.2** | **9.9** | **21.4** | **21.4** |

3.10.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पेंशन की जानकारी एक से अधिक स्त्रोतों से हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन की जानकारी देने वालों में सरपंच, वार्ड पंच व ग्रामसेवक प्रमुख थे तो शहरी क्षेत्र में पेंशन की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत वार्ड मेम्बर व पार्षद थे। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं से भी जानकारी प्राप्त हुई थी। संक्षेप में पेंशन की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत / माध्यम जनता के प्रतिनिधि रहे है।

## 3.11 पेंशन आवेदन करवाने में सहयोग :

3.11.1 पेंशन हेतु आवेदन करने में चयनित लाभार्थियों द्वारा जिन पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया गया, उसका विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

## सारिणी संख्या–24
## पेंशन आवेदन हेतु सहयोग

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | ग्राम सेवक | सरपंच | पटवारी | अध्यापक | वार्ड पंच | पार्षद / सामाजिक कार्यकर्त्ता | वार्ड मेम्बर | अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 58 | – | – | – | – | – | – | 34 | 24 |
| | ग्रामीण | 58 | 9 | 29 | 2 | 6 | 12 | – | – | – |
| | **योग** | **116** | **9** | **29** | **2** | **6** | **12** | **–** | **34** | **24** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | – | – | – | – | – | 43 | 17 |
| | ग्रामीण | 60 | 22 | 30 | 9 | 12 | 6 | – | – | – |
| | **योग** | **120** | **22** | **30** | **9** | **12** | **6** | **–** | **43** | **17** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | – | – | – | – | 30 | 16 | 21 |
| | ग्रामीण | 55 | 19 | 15 | 1 | – | 25 | – | – | – |
| | **योग** | **115** | **19** | **15** | **1** | **–** | **25** | **30** | **16** | **21** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | | | | |
| | शहरी | 178 | – | – | – | 8 | – | 30 | 93 | 62 |
| | ग्रामीण | 173 | 50 | 74 | 12 | 18 | 51 | – | – | – |
| | **कुलयोग** | **351** | **50** | **74** | **12** | **26** | **51** | **30** | **93** | **62** |
| | **प्रतिशत** | | **14.2** | **21.1** | **3.4** | **7.4** | **14.5** | **8.5** | **26.5** | **17.7** |

3.11.2 उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जिन पदाधिकारियों द्वारा विधवाओं को पेंशन की जानकारी दी गयी सामान्यतया उन्हीं के द्वारा पेंशन का आवेदन पत्र भरवाने व सम्बन्धित तक पहँचानें की कार्यवाही की गयी। आवेदन पत्र भरवाने में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक विधवाओं (123) को पार्षद एवं वार्ड मेम्बर द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में 74 विधवाओं को सरपंच द्वारा सहयोग किया गया। आवेदन पत्र भरवाने में अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं (62) का भी सराहनीय योगदान रहा। 30 विधवाओं को पार्षद/सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवं 38 विधवाओं को पटवारी/अध्यापकों द्वारा भी सहयोग किया गया। अजमेर जिले में 60 में से 30 विधवाओं को पार्षद/सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा सहयोग किया गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पेंशन की जानकारी देने, आवेदन पत्र भरवाने में सामान्यतया गैर–सरकारी/राजनैतिक नेताओं का अधिक योगदान रहा है।

### 3.12 पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय :

3.12.1 गरीब एवं असहाय विधवा महिलाओं के पेंशन हेतु आवेदन से लेकर पेंशन स्वीकृति तक लगने वाला समय निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

## सारिणी संख्या–25
## पेंशन स्वीकृति में समय

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | आवेदन के कितने समय बाद पेंशन स्वीकृत हुई (माह में) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तुरन्त | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 व 7 से ज्यादा | मालूम नहीं |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | | | | | |
| | शहरी | 58 | – | 2 | 14 | 31 | 6 | 3 | – | – | 2 |
| | ग्रामीण | 58 | – | 7 | 11 | 19 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | **योग** | **116** | **–** | **9** | **25** | **50** | **13** | **5** | **3** | **5** | **6** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 20 | 8 | 18 | 8 | – | – | 6 | – | – |
| | ग्रामीण | 60 | 8 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| | **योग** | **120** | **28** | **9** | **38** | **17** | **1** | **1** | **10** | **1** | **15** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 1 | 37 | 15 | 1 | 2 | – | 4 | – |
| | ग्रामीण | 55 | – | 38 | 9 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | – |
| | **योग** | **115** | **–** | **39** | **46** | **16** | **1** | **4** | **2** | **7** | **–** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 20 | 11 | 69 | 54 | 7 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| | ग्रामीण | 173 | 8 | 46 | 40 | 29 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| | **कुलयोग** | **351** | **28** | **57** | **109** | **83** | **15** | **10** | **15** | **13** | **28** |
| | **प्रतिशत** | | **8.0** | **16.2** | **31.1** | **23.6** | **4.3** | **2.8** | **4.3** | **3.7** | **8.0** |

3.12.2 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आधे से अधिक 194 अर्थात् 54 प्रतिशत विधवाओं को 2 माह के भीतर पेंशन स्वीकृत हो गयी जिसमें से 8 प्रतिशत को तुरन्त 16.2 प्रतिशत को एक माह के अन्दर एवं 31.1 प्रतिशत को दो माह से कम समय में पेंशन स्वीकृत हो गयी, लेकिन लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिनके पेंशन स्वीकृति में 3 से 7 माह से भी अधिक समय लगा। अतः इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि आवेदन के एक माह में पेंशन स्वीकृत हो जाये। यह आवश्यक नहीं कि पेंशन स्वीकृति में विलम्ब का प्रमुख कारण विभागीय प्रक्रिया ही हो, कई बार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर व सही अवस्था में उपलब्ध न कराये जाने के कारण भी पेंशन स्वीकृति में विलम्ब हो जाता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि आवेदन पत्र में जो भी कमियाँ हो उनको एक साथ आवेदनकर्त्ता को समझाया जाये तथा पेंशन की प्रक्रिया को सुगम व गतिशील बनाया जाये ताकि गरीब विधवाओं को शीघ्रतिशीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके।

## 3.13 पेंशन की राशि :

3.13.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूर्व में विधवाओं को 200/– रुपये मासिक पेंशन दी जा रही थी बाद में उन्हें इस राशि के साथ 10 किलो गेहूँ भी दिया जाने लगा। नियमित रूप से गेहूँ प्राप्त न होने की स्थिति में विधवाओं को 200/– रुपये पेंशन के साथ गेहूँ के 50/– रुपये अर्थात् कुल 250/– रुपये की पेंशन दी जाने लगी। दिनांक 1–4–2006 से 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु की विधवाओं की पेंशन राशि 400/– रुपये कर दी गयी है। अतः यह जानना आवश्यक समझा गया कि विधवाओं को वर्तमान में कितनी राशि मिल रही है। पेंशन राशि का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–26**

**पेंशन राशि**

| क्र.सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | पेंशन राशि (रुपये में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पूर्व में | सर्वे दिनांक को | |
| | | | 200/ | 250/– | 400/– |
| *1* | *2* | *3* | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **जयपुर** | | | | |
| | शहरी | 58 | 58 | 57 | 1 |
| | ग्रामीण | 58 | 58 | 56 | 2 |
| | **योग** | **116** | **116** | **113** | **3** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | |
| | शहरी | 60 | 60 | 47 | 13 |
| | ग्रामीण | 60 | 60 | 48 | 12 |
| | **योग** | **120** | **120** | **95** | **25** |
| 3. | **अजमेर** | | | | |
| | शहरी | 60 | 60 | 55 | 5 |
| | ग्रामीण | 55 | 55 | 55 | – |
| | **योग** | **115** | **115** | **110** | **5** |
| 4. | **महायोग** | | | | |
| | शहरी | 178 | 178 | 159 | 19 |
| | ग्रामीण | 173 | 173 | 159 | 14 |
| | **कुलयोग** | **351** | **351** | **318** | **33** |
| | **प्रतिशत** | | **100.0** | **90.6** | **9.4** |

3.13.2 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 318 (90.6 प्रतिशत) महिलाओं ने सर्वे दिनांक को 250/– रुपये पेंशन प्राप्त होना बताया एवं केवल 33 (9.4 प्रतिशत) महिलाओं द्वारा 400/– रुपये पेंशन प्राप्त होना दर्शाया गया। जो यह इंगित करता है कि चयनित 33 विधवाएं रिकार्ड के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु की थी। क्षेत्रीय कार्य के दौरान विधवाओं द्वारा राशन कार्ड/पहचान पत्र में सही आयु का इन्द्राज नहीं होने की शिकायत की। अब तक सभी आयु की महिलाओं को एक सी पेंशन प्राप्त हो रही थी। अतः राशन कार्ड में दी गयी आयु पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन 17–6–06 के आदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 400 रुपये की पेंशन मिलने के कारण 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं द्वारा राशन कार्ड में सुधार करवाने की माँग की गयी। कुछ लाभार्थियों द्वारा इसमें सुधार करवाना भी पाया गया।

3.14 **पेंशन का माध्यम :**

3.14.1 पेंशन कोष कार्यालय से नकद प्राप्त की जा सकती है अथवा मनीआर्डर द्वारा प्रार्थी को भिजवा दी जाती है। वर्तमान में बैंक खाते में भी पेंशन जमा कराने का प्रावधान किया गया है। चयनित लाभार्थियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने का स्त्रोत निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–27**

**पेंशन प्राप्ति का माध्यम**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | नकद कोषालय से | बैंक खाते में जमा | मनीआर्डर द्वारा नकद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **जयपुर** | | | | |
| | शहरी | 58 | 35 | 4 | 19 |
| | ग्रामीण | 58 | 9 | 5 | 44 |
| | **योग** | **116** | **44** | **9** | **63** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | |
| | शहरी | 60 | 30 | – | 30 |
| | ग्रामीण | 60 | 32 | – | 28 |
| | **योग** | **120** | **62** | **–** | **58** |
| 3. | **अजमेर** | | | | |
| | शहरी | 60 | – | – | 60 |
| | ग्रामीण | 55 | – | – | 55 |
| | **योग** | **115** | **–** | **–** | **115** |
| 4. | **महायोग** | | | | |
| | शहरी | 178 | 65 | 4 | 109 |
| | ग्रामीण | 173 | 41 | 5 | 127 |
| | **कुलयोग** | **351** | **106** | **9** | **236** |
| | **प्रतिशत** | | **30.2** | **2.6** | **67.2** |

3.14.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पेंशन प्राप्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम मनीआर्डर है, अधिकांश विधवाएं अकेली असहाय एवं असुरक्षित होने के कारण मनीआर्डर को ही सबसे उत्तम माध्यम मानती है। मनीआर्डर पोस्टमैन द्वारा स्वयं विधवा को दिया जाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं इससे पेंशन की राशि सीधी विधवा को प्राप्त होती है। पेंशन घर पर आने के कारण विधवा महिला यदि किसी प्रकार की मजदूरी या कार्य करती है तो उसे किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होती और न ही अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से उसके साथ कोष कार्यालय जाने की मिन्नतें करनी पड़ती है। जिलेवार विवरण यह दर्शाता है कि अजमेर जिले में शत–प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा मनीआर्डर में ही पेंशन प्राप्त की जा रही थी। कुल चयनित 351 लाभार्थियों में से 236 (67.2 प्रतिशत) को मनीआर्डर से पेंशन प्राप्त हो रही थी।

3.14.3 पेंशन प्राप्ति का दूसरा लोकप्रिय माध्यम स्वयं कोषालय जाकर पेंशन प्राप्त करना है। जिन विधवाओं को पेंशन शीघ्र प्राप्त करनी होती है तथा जिनके कोषालय उनके गाँव/घर से अधिक दूरी पर नहीं होते अथवा आवागमन के साधन उपलब्ध होते हैं उन विधवा महिलाओं द्वारा कोष कार्यालय जाकर पेंशन प्राप्त की जाती है। प्रत्येक कोष कार्यालय में माह के निश्चित 4 से 6 दिन के मध्य पेंशन वितरित की जाती है। किसी भी कोषालय के बाहर उन निश्चित दिनांकों को काफी संख्या में पेंशनर्स देखे जा सकते हैं। चयनित 351 विधवाओं में से 106 (30.2 प्रतिशत) महिलाएं कोष कार्यालय जाकर नकद राशि प्राप्त कर रही थी। कोष कार्यालय जाने वाली महिलाओं में अधिकांशतया शहरी महिलाएं थी।

## 3.15 पेंशन की नियमितता :

3.15.1 पेंशन की राशि विधवा महिला के लिए एक मुख्य आर्थिक सहायता होने के कारण इसकी निरन्तरता एवं नियमितता अहम स्थान रखती है। पेंशन की नियमितता के सम्बन्ध में चयनित लाभार्थियों द्वारा दिए गये प्रत्युत्तर निम्न तालिका में संकलित किये गये हैं :–

**सारिणी संख्या–28**

**पेंशन की नियमितता**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | हाँ | नहीं | यदि नहीं तो कितने अन्तराल में (माह में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 माह | 2 माह | 3 माह | 4 माह |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 57 | 1 | 1 | – | – | – |
| | ग्रामीण | 58 | 46 | 12 | 4 | 7 | 1 | – |
| | **योग** | **116** | **103** | **13** | **5** | **7** | **1** | **–** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | – | 60 | 2 | 29 | 12 | 17 |
| | ग्रामीण | 60 | – | 60 | – | 60 | – | – |
| | **योग** | **120** | **–** | **120** | **2** | **89** | **12** | **17** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 58 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| | ग्रामीण | 55 | 28 | 27 | 1 | 19 | – | 7 |
| | **योग** | **115** | **86** | **29** | **2** | **19** | **1** | **7** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 115 | 63 | 4 | 29 | 13 | 17 |
| | ग्रामीण | 173 | 74 | 99 | 5 | 86 | 1 | 7 |
| | **कुलयोग** | **351** | **189** | **162** | **9** | **115** | **14** | **24** |
| | **प्रतिशत** | | **53.8** | **46.2** | **5.6** | **71.0** | **8.6** | **14.8** |

3.15.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित 351 विधवाओं में से 189 (53.8 प्रतिशत) के अनुसार उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही थी, लेकिन शेष 162 (46.2 प्रतिशत) के अनुसार पेंशन प्रतिमाह या नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी। 9 विधवाओं को (5.6 प्रतिशत) 1 माह बाद, 115 (71.0 प्रतिशत) विधवाओं को प्रत्येक 2 माह बाद, 14 (8.6 प्रतिशत) विधवाओं को 3 माह बाद तथा शेष 24 (14.8 प्रतिशत) विधवाओं को 4 माह के अन्तराल के बाद पेंशन प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में कोष कार्यालय एवं डाक विभाग से सम्पर्क करने पर पाया गया कि कई बार विधवाओं के ग्राम से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाने से अथवा मजदूरी पर चले जाने से वे कोष कार्यालय नहीं आ पाती हैं अथवा डाकिया 2–3 बार जाकर वापस आ जाता है। सामान्यतया पोस्टमैन विधवा को जानता है और ग्राम वाले भी विधवा को बता देते हैं अतः पेंशन का नियमित वितरण हो जाता है। डाकघर में स्टाफ की कमी के कारण तथा विस्तृत क्षेत्र के कारण कुछ स्थानों पर पेंशन प्रतिमाह वितरित न की जाकर प्रत्येक दो माह में एक बार वितरित की जाती है।

## 3.16 सर्वे दिनांक को पेंशन की स्थिति

3.16.1 सर्वे दिनांक को चयनित 351 विधवाओं की बकाया पेंशन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**सारिणी संख्या–29**

**बकाया पेंशन का विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिला | उत्तरदाता | सर्वे दिनांक तक पेंशन कितने माह की बकाया है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nil | 1 माह | 2 माह | 3 माह | 4 माह एवं अधिक |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | **जयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 58 | 54 | 2 | 1 | 1 | – |
| | ग्रामीण | 58 | 31 | 15 | 6 | 3 | 3 |
| | **योग** | **116** | **85** | **17** | **7** | **4** | **3** |
| 2. | **उदयपुर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 30 | – | – | 14 | 16 |
| | ग्रामीण | 60 | 5 | 2 | 39 | – | 14 |
| | **योग** | **120** | **35** | **2** | **39** | **14** | **30** |
| 3. | **अजमेर** | | | | | | |
| | शहरी | 60 | 31 | 26 | 2 | 1 | – |
| | ग्रामीण | 55 | 28 | 19 | 7 | 1 | – |
| | **योग** | **115** | **59** | **45** | **9** | **2** | **–** |
| 4. | **महायोग** | | | | | | |
| | शहरी | 178 | 115 | 28 | 3 | 16 | 16 |
| | ग्रामीण | 173 | 64 | 36 | 52 | 4 | 17 |
| | **कुलयोग** | **351** | **179** | **64** | **55** | **20** | **33** |
| | **प्रतिशत** | | **51.0** | **18.2** | **15.7** | **5.7** | **9.4** |

3.16.2 उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि 179 विधवाओं को सर्वे दिनांक तक चालू माह तक की पेंशन प्राप्त हो चुकी थी और कोई पेंशन बकाया नहीं नहीं थी, लेकिन 64 महिलाओं की 1 माह की, 55 महिलाओं की 2 माह की, 20 महिलाओं की 3 माह की एवं शेष 33 महिलाओं की 4 माह या इससे भी अधिक समय की पेंशन बकाया थी। सर्वाधिक बकाया पेंशन उदयपुर जिले में पायी गयी। बकाया पेंशन के विधवाओं द्वारा निम्न कारण दिये गये :–

| क्र.सं. | कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | मनीआर्डर माह की 10–15 तारीख तक आता है। | 65 | 18.5 |
| 2. | कोष कार्यालय से पोस्ट आफिस में नहीं आयी। | 14 | 4.0 |
| 3. | अभी तक लेने नहीं गये। | 5 | 1.4 |
| 4. | डाक घर में खाता खोलने की कार्यवाही की जा रही है। | 1 | 0.3 |
| 5. | डाकिया समय पर नहीं आता है, 2–2 माह की पेंशन एक साथ आती है। | 76 | 21.7 |
| 6. | तहसील से पेंशन नहीं आती है। | 3 | 0.8 |
| 7. | तहसील कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार। | 1 | 0.3 |
| 8. | कोई कारण नहीं बताया। | 186 | 53.0 |
| | **योग** | **351** | **100.0** |

3.16.3 उपर्युक्त कारणों से ज्ञात होता है कि सामान्यतया एक से दो माह की अवधि में पेंशन प्राप्त हो जाती है। समय पर पेंशन प्राप्त न होने का 186 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लाभार्थी द्वारा पेंशन देरी से प्राप्त होने के कारणों का पता ही नहीं लगाया गया अथवा वह स्वयं दोषी था।

### 3.17 पेंशन राशि का उपयोग :

3.17.1 विधवाओं द्वारा सरकारी पेंशन का उपयोग अधिकांशतया निम्न मदों पर किया जा रहा है :–

| क्र.सं. | पेंशन राशि का उपयोग | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अन्न खरीदने हेतु | 195 |
| 2. | ब्याज चुकाने में | 4 |
| 3. | दवाईयाँ खरीदने हेतु | 81 |
| 4. | घरेलु खर्च में | 313 |
| 5. | नशीले पदार्थ | 1 |
| 6. | अन्य | 2 |

3.17.2 गरीब होने के कारण विधवाओं द्वारा राशि का उपयोग अन्न खरीदने अथवा घर की ही छोटी–मोटी वस्तुओं के खरीदने में किया जाता है। वृद्धावस्था के कारण 81 महिलाएं पेंशन की राशि का उपयोग दवाईयाँ खरीदने में भी कर रही थी।

### 3.18 पेंशन राशि की पर्याप्तता :

3.18.1 चयनित 351 विधवाओं में से 22 विधवाओं की राय में पेंशन राशि पर्याप्त थी, जबकि शेष 329 विधवाओं की राय में पेंशन राशि पर्याप्त नहीं थी उन्हें अतिरिक्त राशि की अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करनी पड़ती थी। 86 लाभार्थी स्वयं की बचत को काम में ले रहे थे, 235 लाभार्थी अन्य परिजनों से उधार लेकर कार्य कर रहे थे एवं शेष 91 लाभार्थी किसी न किसी प्रकार की मजदूरी कर अथवा पंच, सरपंच, वार्ड पंच से उधार लेकर अपना काम चला रहे थे। चयनित 351 लाभार्थियों में से 147 के अनुसार 500 रुपये पेंशन पर्याप्त है जबकि शेष 204 लाभार्थियों की राय में पेंशन राशि 500 से 1000 के मध्य होनी चाहिये। चयनित सभी 351 लाभार्थियों में से केवल उदयपुर के 4 शहरी लाभार्थियों द्वारा पेंशन राशि से बचत भी की जा रही थी, जबकि शेष के अनुसार पेंशन की सभी राशि खर्च हो जाती है। वर्ष 2007–08 के बजट भाषण में सभी विधवा महिलाओं की पेंशन 400/– रुपये कर दी गयी है, अतः सम्भवतया सब विधवाओं को उधार/माँग कर खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ग्रामीण विधवाओं के लिए यह राशि सन्तोषजनक कही जा सकती है।

### 3.19 पेंशन राशि का जीवन स्तर पर प्रभाव :

3.19.1 यद्यपि सरकार द्वारा प्रदत्त राशि इतनी अधिक नहीं कि इससे जीवन स्तर में अधिक सुधार हो लेकिन फिर भी इस राशि से गरीब विधवाओं के जीवन स्तर पर निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं :–

| क्र.सं. | प्रभाव | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | परिवार में सम्मान बढ़ा। | 58 |
| 2. | अब मांगने के स्थान पर स्वयं ही खर्चा चला लेते हैं। | 219 |
| 3. | भीख मांगना बन्द हो गया। | 5 |
| 4. | आत्म निर्भर हो गये। | 66 |
| 5. | आर्थिक कठिनाई कम हो गयी। | 13 |

3.19.2 संक्षेप में गरीब विधवा महिला को अब उधार लेने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि अब यह राशि 400/– रुपये कर दी गयी है। ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिला इस राशि से अपना गुजारा कर लेती है।

### 3.20 परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन :

3.20.1 चयनित 351 विधवाओं के परिवार में केवल 11 परिवारों में अन्य कार्यक्रमों की सरकारी पेंशन प्राप्त हो रही थी। इन परिवार के अन्य सदस्यों में 3 को विकलांग पेंशन, 4 को विधवा पेंशन व 4 को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही थी। चयनित विधवाओं से सामान्यतया इनका रिश्ता सास, जिठानी, बेटी, बेटा, माता आदि का था।

### 3.21 पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

3.21.1 यह एक सन्तोष का विषय है कि चयनित 351 विधवाओं में से 322 विधवाओं को पेंशन हेतु आवेदन करने व फार्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, केवल 29 विधवाओं को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई हुई। 18 विधवाओं को अशिक्षित होने के कारण फार्म भरने व आवेदन सही स्थान पर करने में कठिनाई आयी जबकि शेष 11 विधवाओं को किसी न किसी कमी के कारण फार्म ही दुबारा भरना पड़ा और फोटो भी दुबारा लगानी पड़ी। जहाँ तक पेंशन स्वीकृति की स्थिति है 351 में से 324 लाभार्थी पूर्णतया सन्तुष्ट थे, जबकि शेष 27 को विभागीय/तहसील स्तर पर पेंशन हेतु बार–बार चक्कर लगाने पड़े। बैंक से पेंशन प्राप्त करने में किसी भी लाभार्थी को कोई कठिनाई नहीं हुई।

3.21.2 चयनित विधवाओं द्वारा केवल एक ही कठिनाई बतायी गयी कि कई बार पेंशन समय पर प्राप्त नहीं होती है जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रत्येक माह नियमित रूप में मनीआर्डर द्वारा पेंशन भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। चयनित विधवाओं द्वारा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :–

| क्र.सं. | विधवाओं द्वारा दिए गये सुझाव | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | विधवा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जावें। | 35 |
| 2. | कम उम्र की विधवाओं को कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जावें। | 29 |
| 3. | सिलाई मशीन उपलब्ध करायी जावें। | 3 |
| 4. | सरकार द्वारा ऋण मिलना चाहिये। | 2 |
| 5. | बच्चों के भविष्य हेतु कुछ राशि F/D के रूप में दी जावें। | 3 |
| 6. | ईलाज का खर्चा सरकार द्वारा दिलवाया जावें। | 1 |
| 7. | पेंशन की राशि प्रतिमाह एवं माह की 2–3 तारीख तक प्राप्त हो जायें। | 58 |
| 8. | पेंशन का भुगतान घर पर ही हो जायें। | 4 |
| 9. | पेंशन राशि स्वयं के बैंक खाते में हर माह जमा हो जानी चाहिये। | 5 |
| 10. | बी.पी.एल.कार्ड बनवाया जावें ताकि अनाज सस्ता मिल सके। | 2 |
| 11. | बकाया पेंशन राशि दिलाई जावें। | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | पेंशन स्वीकृति में कम समय लगाया जावें। | 35 |
| 13. | डाकिया M.O. की राशि जरूर देवें। | 3 |
| 14. | योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये जिससे जन–जन तक योजना की जानकारी पहुँच सके। | 37 |
| 15. | ग्राम पंचायतों को पेंशन स्वीकृत एवं वितरण के अधिकार दिये जावें। | 7 |
| 16. | कोई सुझाव नहीं। | 145 |

### 3.22 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों के विचार :

3.22.1 पेंशन कार्यक्रम से जुड़े सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों यथा– कनिष्ठ लिपिक, पदेन सचिव, सचिव, ग्राम सेवक, उपखण्ड़ अधिकारी, सरपंच, विकास अधिकारी, उपनिदेशक, वार्ड पंच से भी कार्यक्रम क्रियान्विति, कठिनाईयाँ एवं सुझाव जानने हेतु सम्पर्क किया गया। कुल 55 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से अनुसूची भरी गयी जिसमें 35 अधिकारी व 20 गैर–अधिकारी थे। जिलेवार अधिकारी/गैर–अधिकारियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

**सारिणी संख्या–30**

**जिलेवार अधिकारी/गैर–अधिकारियों की संख्या**

| क्र. सं. | जिला | अधिकारी/ गैर–अधिकारी | संख्या | शैक्षणिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | साक्षर | प्राथमिक | माध्यमिक | स्नातक | स्नातकोत्तर |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | जयपुर | अधिकारी | 6 | – | – | 2 | 3 | 1 |
| | | गैर–अधिकारी | 3 | – | 2 | 1 | – | – |
| 2. | उदयपुर | अधिकारी | 21 | – | – | – | 12 | 9 |
| | | गैर–अधिकारी | 16 | 6 | – | 7 | – | 3 |
| 3. | अजमेर | अधिकारी | 8 | – | – | – | 7 | 1 |
| | | गैर–अधिकारी | 1 | – | – | 1 | – | – |
| | **योग** | **अधिकारी** | **35** | **–** | **–** | **2** | **22** | **11** |
| | | **गैर–अधिकारी** | **20** | **6** | **2** | **9** | **–** | **3** |
| | **कुल योग** | | **55** | **6** | **2** | **11** | **22** | **14** |
| | **प्रतिशत** | | | **10.9** | **3.6** | **20.0** | **40.0** | **25.5** |

3.22.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि गैर–अधिकारियों की तुलना में सरकारी अधिकारी अधिक शिक्षित थे। स्नातक में दर्शाये गये अधिकारियों में 9 अधिकारी इन्जीनियर थे। उदयपुर जिले में 6 गैर–अधिकारी केवल साक्षर पाए गये। सभी अधिकारियों/गैर–अधिकारियों को अपने क्षेत्र में चल रही सभी पेंशन योजनाओं की जानकारी थी तथा उनके अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को भी इस बात की जानकारी थी कि विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है। उनके अनुसार समय–समय पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा/वार्ड सभा में तो पेंशन योजनाओं की जानकारी दी ही जाती है

पर इसके अलावा प्रचार–प्रसार द्वारा, शिविर लगाकर, अभियान द्वारा, समाचार–पत्रों के विज्ञापन द्वारा पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जाती है। उप–खण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच व अन्य जन–प्रतिनिधियों व कर्मचारियों द्वारा भी इस सम्बन्ध में नियमित रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का भी इस सम्बन्ध में सराहनीय योगदान रहा है। संक्षेप में समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को इसकी जानकारी है और उसके द्वारा पात्र व्यक्ति को जानकारी प्रदान की जाती है।

3.22.3 समस्त चयनित सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि विधवा पेंशन के लिए पात्रता क्या है व कितनी पेंशन प्राप्त होती है। समस्त अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में उनके क्षेत्र की जिन विधवाओं को पेंशन प्राप्त हो रही थी वे सभी इसकी पात्र थी।

### 3.23 आवेदन एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में :

3.23.1 सभी चयनित 55 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों की राय में पेंशन फार्म आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 44 (80 प्रतिशत) अधिकारियों की राय में पेंशन 1 माह की अवधि में, 3 के अनुसार 2 से 3 माह की अवधि में एवं 4 के अनुसार 3 से 4 माह की अवधि में पेंशन स्वीकृत हो जाती है। अधिकांश अधिकारियों की राय में पेंशन 1 माह की अवधि में स्वीकृत हो जाती है, जबकि गैर–अधिकारियों की राय में इसमें 1 से 2 माह का समय लगता हैं। 39 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में पेंशन का वितरण 1 माह में, 22 के अनुसार 1 से 2 माह में, 8 के अनुसार 2 से 3 माह का समय व 4 के अनुसार 3 से 4 माह तक का समय लग जाता हैं। यहाँ पर यह कहना न्यायोचित होगा कि लगभग यही राय चयनित लाभार्थियों की थी। संक्षेप में साधारण परिस्थितियों में आवेदन के 2 माह पश्चात् पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाती हैं।

### 3.24 पेंशन राशि के सम्बन्ध में :

3.24.1 पेंशन राशि के सम्बन्ध में अधिकारियों/गैर–अधिकारियों को नवीनतम जानकारी नहीं थी यही कारण है चयनित 26 के अनुसार 200/– रुपये प्रतिमाह, 14 के अनुसार 250/– रुपये, 4 के अनुसार 300/– रुपये एवं 30 के अनुसार प्रतिमाह 400/– रुपये पेंशन मिल रही थी, कई अधिकारियों को आयुवार/दम्पत्तिवार प्रदान की जाने वाली राशि ज्ञात नहीं थी। यदि अधिकारियों/गैर–अधिकारियों को ही नवीनतम जानकारी नहीं है तो उनके द्वारा क्षेत्र की आम जनता को भी पुरानी सूचना ही उपलब्ध करायी जाएगी। अतः विभाग द्वारा पेंशन राशि में परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

3.24.2 चयनित 55 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों में 15 के अनुसार पेंशन की राशि सन्तोषप्रद थी जबकि 40 की राय में इसमें वृद्धि अपेक्षित है, 22 की राय में यह राशि 500/– रुपये, 3 की राय में 600/– रुपये एवं 14 की राय में 1000/– रुपये होनी चाहिए। 55 में से 41 की राय में पेंशन राशि लाभार्थी को समय पर प्राप्त हो जाती है जबकि 13 की राय में यह काफी विलम्ब से प्राप्त होती है।

3.24.3 चयनित अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में विधवाओं द्वारा कोष कार्यालय जाकर अथवा मनी–आर्डर द्वारा पेंशन प्राप्त की जा रही थी और इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। उनके अनुसार भी मनी–आर्डर से पेंशन प्राप्त करना अधिक लोकप्रिय हैं।

————

# अध्याय चतुर्थ

## कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.1 समाज के असहाय वर्ग यथा वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग एवं निःशक्तजन की देखभाल, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाएँ प्रारम्भ की गई। इनमें से विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना वर्ष 1974 से प्रारम्भ की गई। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि एवं संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के अनुसार विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना मोटे तौर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है और चयनित लाभार्थियों को सामान्यतया नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो रही है। फिर भी क्षेत्रीय कार्य के दौरान कुछ कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई, जिनका विवरण यहाँ इस आशय से दिया जा रहा है कि विभाग द्वारा उक्त योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके तथा गरीब विधवाओं को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

1. **आदेशों में एकरूपता का अभाव** :

वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन हेतु कभी वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तो कभी समाज कल्याण विभाग द्वारा। क्रियान्वयन विभाग समाज कल्याण विभाग है। अतः पेंशन संबंधित सभी आदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा ही जारी किये जाएँ तो अधिक उचित रहेगा।

2. **आयु की गणना** :

समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला को 200 रूपये एवं 65 वर्ष या अधिक आयु की महिला को 400 रूपये की पेंशन देय है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह अवलोकन किया गया कि लाभार्थियों का आयु का प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में लाभार्थियों द्वारा आयु में परिवर्तन कराने हेतु पटवारी/ग्राम सेवक/तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि आयु राशन कॉर्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र से भरी जाती है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह भी देखा गया कि कई बार कम आयु की महिला (57 वर्ष) को रिकॉर्ड में 65 वर्ष (अधिक आयु) की दिखाया गया। इसी प्रकार 70 वर्ष की महिला को 60 वर्ष दर्शाया गया था। यद्यपि राशन कार्ड में संबंधित अधिकारी द्वारा आयु दर्ज करते समय जानबूझकर ऐसी गलती

नहीं की जाती है तथापि सरकार द्वारा आयु के आधार पर पेंशन दी जाने से पेंशन की राशि में स्वतः अन्तर हो जाता है। यद्यपि वर्ष 2007–08 के बजट भाषण में सभी प्रकार के लाभार्थियों की पेंशन 400 रूपये कर दी गई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की विसंगति होने की संभावना नहीं है। सरकार के पूर्व आदेश के अनुसार विधवा महिला की आयु 65 वर्ष हाते ही उसकी विधवा पेंशन की राशि वृद्धावस्था पेंशन में स्वतः परिवर्तित हो जानी चाहिए थी लेकिन क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला को भी वृद्धावस्था पेंशन न मिलकर विधवा पेंशन ही प्राप्त हो रही थी। वर्तमान में विधवा तथा वृद्धावस्था पेंशन की राशि (400/– रुपये) समान होने के कारण यह विसंगति स्वतः ही दूर हो गई है।

3. **अशिक्षित/अनपढ़ आवेदक** :

योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पेंशनरों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थी सीधे अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन–पत्र भरकर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सहमति हेतु प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी सीधे अथवा संबंधित निकाय के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी को सहमति हेतु प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश ग्रामीण लाभार्थियों के अशिक्षित होने के कारण आवेदन–पत्र में कमियाँ/विसंगतियाँ रह जाती हैं। जिनकी पूर्ति हेतु वे ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं तहसीलदार के बार–बार चक्कर लगाते हैं। विधवा महिला के असहाय अथवा अधिक आयु होने की स्थिति में वह पेंशन स्वीकृत कराने से वंचित रह जाती है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो पेंशन आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा अथवा किसी अभियान/शिविर में भरवाया जाये तथा उसी समय उसका सूक्ष्म परीक्षण कर लिया जावें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कमी न रहे।

4. **लाभार्थी द्वारा गलत सूचना दिया जाना** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि जहाँ योग्य, अशिक्षित एवं अनपढ़ लाभार्थी जानकारी के अभाव में पेंशन स्वीकृत कराने से वंचित रह जाते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रामीण पेंशन प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि बच्चे के नाम ट्रांसफर करवा देते हैं तथा अपने राशनकार्ड बच्चों से अलग बनाकर परिवार के सदस्यों की संख्या को छुपा देते हैं। ऐसे आवेदक पात्र नहीं होने पर भी पेंशन स्वीकृत कराने में सफल हो जाते हैं। यदि ग्राम सभा में प्रत्येक पेंशन आवेदन–पत्र पर विस्तृत चर्चा एवं विचार किया जाये तो गलत व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत नहीं होगी।

5. **कमाने योग्य सन्तान** :

विधवा पेंशन के प्रावधान के अनुसार विधवा महिला के 20 वर्ष का पुत्र होते ही उसकी विधवा पेंशन स्वतः बन्द हो जाती हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित महिलाओं का मत था कि 20 वर्ष की आयु में पुत्र न तो अपनी पढ़ाई ही समाप्त कर पाता है और न ही कमाने लायक होता है। यदि न्यूनतम पढ़ाई अर्थात 12वीं कक्षा पास करने के बाद यदि वह किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है तो रोजगार के अभाव में वह किसी प्रकार की आय सृजित करने में असमर्थ रहता है। अतः क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर इस आयु पर पुनर्विचार किया जाना प्रस्तावित है। चयनित लाभार्थियों के अनुसार इसे 25 वर्ष किया जाना उचित रहेगा।

6. **विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय का अभाव** :

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर कोषाधिकारी को भेजी जाती है। कोषाधिकारी द्वारा पी.पी.ओ. (पेंशन भुगतान आदेश) जारी कर तहसीलदार/सम्बन्धित सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी को भेजा जाता है। जिसकी मूल प्रति संबंधित व्यक्ति को तथा एक प्रति पेंशन स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाती है। पी.पी.ओ. की कार्बन कॉपी पढ़ने योग्य भी नहीं होती। इस संबंध में पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। विकास अधिकारी के अनुसार यदि पी.पी. ओ. की प्रति प्राप्त होती है तो उसे पत्रावलित कर लिया जाता है और यदि प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का स्मरण–पत्र कोषाधिकारी को नहीं भेजा जाता है। विकास अधिकारी के अनुसार उनका कार्य केवल पेंशन स्वीकृति तक ही सीमित है उनके द्वारा स्वीकृत पेंशन में से कितने व्यक्तियों को पी.पी.ओ. जारी हुए इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रयास किया जाता है। अतः उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनधारियों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

पी.पी.ओ. कोषालय द्वारा जारी किया जाता है। भुगतान संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पेंशन वितरण में विकास अधिकारी, कोषालय एवं तहसीलदार तीन अलग–अलग एजेन्सीज की भूमिका होने से कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं शहरी व ग्रामीण पेंशन अलग–अलग अधिकारियों के पास होने से इकजाई सूचना कहीं भी उपलब्ध न होने के कारण योजना की प्रलेख सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस हुई। अतः सिफारिश की जाती है कि सभी एजेन्सीज की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए ताकि उनके द्वारा आवंटित कार्यों को सही व समय पर पूर्ण किया जा सके। संक्षेप में योजनान्तर्गत आवेदन तैयार करना, स्वीकृत करना तथा पी. पी. ओ. जारी करने वाली तीनों एजेन्सीज अलग–अलग हैं और उनमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह

जानकारी नहीं कि पी.पी.ओ. जारी हुआ अथवा नहीं और पी.पी.ओ. जारी करने वाले कोषाधिकारी को यह ज्ञात नहीं कि पेंशन का भुगतान हुआ अथवा नहीं। अतः सम्पूर्ण योजना का जिला/पंचायत समिति/निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाये जो यह मॉनिटरिंग करे कि कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने आवेदन–पत्रों पर पी.पी.ओ. जारी किया गया और कितने लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है।

7. **मॉनिटरिंग का अभाव** :

योजना की सबसे बड़ी कमी प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग का अभाव है। किसी भी स्तर पर सूचना का सही संधारण नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर न तो फॉर्मेट निर्धारित है और न ही निश्चित दिनांक। यहाँ तक कि समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों में भी इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है केवल कोषालय में ग्रामीण एवं शहरी की अलग–अलग सूचना उपलब्ध है। किसी भी स्तर पर जिले की इकजाई सूचना उपलब्ध न होने के कारण प्रलेख सूचनाओं के विश्लेषण में अत्यधिक कठिनाई महसूस की गई। अतः पुरजोर सिफारिश की जाती है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे। इसके लिए फॉर्मेट बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेजकर जिम्मेदारी निश्चित की जावे ताकि सूचनाओं में एकरूपता आ सके तथा कोषालय द्वारा दिये गये ग्रामीण एवं शहरी सूचनाओं का योग समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये गये योग से मेल खा सके।

8. **पेंशन का भुगतान** :

विधवाओं को पेंशन तहसील कार्यालय से नकद अथवा मनीऑर्डर द्वारा प्राप्त होती है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान निम्न कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई :–

(i) तहसील कार्यालय में ग्राम पंचायतवार दिनांक निश्चित न होने से बेहद भीड़ हो जाती है फलतः लाभार्थी का पूरा दिन खराब होने से उनकी मजदूरी का नुकसान होता है। विधवाओं के पास किसी अन्य व्यक्ति के आने से उसका समय व बस में आने जाने की राशि का अतिरिक्त भार पड़ता है।

(ii) मनीऑर्डर द्वारा राशि भेजने पर लाभार्थी के घर पर न मिलने पर राशि लीड पोस्ट ऑफिस को लौटा दी जाती है जिसे अगली पेंशन के साथ दिया जाता है। अधिकांश जिलों में पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी के कारण दो माह की पेंशन व कई स्थितियों में 3–4 माह की पेंशन एक साथ वितरित की जाती है, जिससे विधवा महिलाओं को कठिनाई होती है।

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में ही लाभार्थी का बचत खाता खोलकर उसको पेंशन जमा कराने की योजना प्रगति पर है जिसके लिए पेंशनकर्ताओं से 100–100 रूपये लिये गये थे, लेकिन इस संबंध में डाकघर के कर्मचारियों से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि इससे कठिनाईयाँ अधिक बढ़ेगी। अभी तक मनीऑर्डर की राशि स्वयं पेंशनकर्ता को दी जाती है लेकिन एक बार पासबुक/चैकबुक खो जाने पर उस राशि को चैक के माध्यम से लाभार्थी का कोई भी रिश्तेदार (हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाकर) निकाल सकता है। दूसरी ओर बार–बार पोस्ट ऑफिस आकर राशि निकालने में लाभार्थी का समय व धन दोनों ही अधिक व्यय होंगे। विधवाओं को तो और भी अधिक परेशानी होगी। पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी व पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रतिमाह पोस्टिंग में भी कठिनाई होगी।

अतः इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस से पेंशन राशि के वितरण की अपेक्षा वर्तमान तरीका अर्थात नकद अथवा मनीऑर्डर से राशि दिया जाना ही अधिक न्याय संगत रहेगा। चयनित लाभार्थी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में थे।

9. **पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय** :

सामान्यतया पेंशन हेतु आवेदन करने से लेकर पेंशन स्वीकृति व पी.पी.ओ. जारी करने में 2 से 3 माह का समय लगता है। इसका प्रमुख कारण आवेदन–पत्र भरने, स्वीकृति जारी करने और पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य पृथक–पृथक अधिकारियों द्वारा व पृथक–पृथक विभागों द्वारा किया जाना है। यदि एक ही एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कार्य किया जाए अथवा तीनों एजेन्सियों में आपसी समन्वय हो तो इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी सम्भव है। अतः पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को कम किया जाना चाहिये।

10. **लाभार्थियों को पेंशन में वृद्धि की जानकारी नहीं** :

अधिकांश विधवा लाभार्थियों को पेंशन की राशि कब बढ़ी व कब से मिल रही है, की जानकारी नहीं थी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान किसी ग्राम पंचायत में जुलाई 2006 से किया जा रहा था तो कहीं सितम्बर 2006 से। लाभार्थियों से मनीऑर्डर की रसीद मांगी जाने पर कुछ का कहना था कि उन्हें रसीद दी ही नहीं जाती तो कुछ लाभार्थियों ने रसीद ही सम्भालकर नहीं रखी। डाकघर के ब्रांच मैनेजर के अनुसार मनीऑर्डर के साथ रसीद बहुत पतली आने से इस प्रकार की कठिनाई आ रही है। अतः सिफारिश की जाती है कि मनीऑर्डर के साथ रसीद अवश्य दी जानी चाहिए। जयपुर जिले के चाकसू पंचायत समिति के डाकघर के कर्मचारी ने अवगत कराया कि 1–2 स्थानों पर कम्प्यूटर में 250 के स्थान पर 200 रूपये अंकित हो जाने के

फलस्वरूप एक विधवा महिला को पेंशन राशि 200 रूपये ही प्राप्त हो रही है। विधवा महिला को संबंधित कार्यालय जाकर आवश्यक संशोधन कराने की रॉय दी गई लेकिन गरीब, अनपढ़ व शहर की जानकारी के अभाव में वह महिला 200 रूपये ही प्राप्त कर रही थी। अतः सिफारिश की जाती है कि कम्प्यूटर में उपलब्ध रिकॉर्ड की भी समय–समय पर जाँच की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार की मानवीय भूलों को सुधारा जा सके।

11. **योग्य विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह बात मुख्य रूप से उभरकर आई कि जिन ग्राम पंचायतों के सरपंच जागरूक हैं वे गांव में किसी भी प्रकार के शिविर/अभियान चलते ही अपने क्षेत्र के योग्य पेंशनर्स को पेंशन स्वीकृत करवा देते हैं लेकिन जहाँ पर भी पटवारी/ग्रामसेवक/सरपंच इस कार्य में रूचि नहीं लेते हैं वहाँ पर योग्य विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है। उदाहरणार्थ–जयपुर की आमेर पंचायत समिति में श्यामपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा एक ही कैम्प में 45 लोगों को पेंशन की स्वीकृति जारी करवायी गयी जिसमें 28 व्यक्ति चांदावास के, 6 श्यामपुरा के, 6 राजपुरा के एवं 8 कुशलपुरा ग्राम के थे, लेकिन दूसरी ओर चाकसू की रैगर बस्ती में रहने वाली 40 वर्षीय विधवा श्याम दौलत के 5 बच्चे हैं, अगस्त 2006 में पेंशन फॉर्म भेजा लेकिन जनवरी 07 तक उसे पेंशन स्वीकृत नहीं हुई थी। पर्दे में रहने के कारण मुस्लिम महिला बार–बार विभिन्न कार्यालय के चक्कर लगाने में असमर्थ थी। यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति कार्यालय में कार्य करने वाले स्थानीय चपरासी को उसके क्षेत्र की सभी गरीब विधवा महिलाओं की जानकारी थी तथा यह भी ज्ञात था कि कौनसी योग्य महिला को विधवा पेंशन स्वीकृति नहीं हो पाई है। अतः ग्राम सभा में समय–समय पर लगने वाले अभियान शिविर में इस प्रकार की योग्य विधवा महिलाओं से आवेदन–पत्र भरवाकर पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिए।

4.2 संक्षेप में विधवा पेंशन गरीब अशिक्षित एवं विधवा महिलाओं के लिए अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। वर्तमान समय में 250 (200 नकद एवं 50 रूपये के गेहूँ) की राशि को बढ़ाया जाकर 400 रूपये कर दिया गया है। अतः क्षेत्रीय कार्य के दौरान महिलाओं द्वारा पेंशन राशि को बढ़ाए जाने की प्रार्थना स्वतः ही पूरी हो गयी है और ग्रामीण महिलाएं सरकार के इस निर्णय से बेहद प्रसन्न हैं। यद्यपि यह राशि सम्पूर्ण गुजारा करने के लिए पूर्ण नहीं है तथापि प्रतिमाह प्राप्त होने वाली इस पेंशन राशि से विधवा महिलाओं को बहुत सम्बल मिला है, समाज व परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, उनके आर्थिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। अकेली, असहाय, बीमार एवं वृद्ध विधवा पेंशन प्राप्तकर्त्ता के लिए तो यही एक जीवन का आसरा एवं आधार है, लेकिन कई परिवारों से बात करने तथा सरकारी, गैर सरकारी अधिकारियों से वार्ता करने पर यह तथ्य भी उभरकर आया कि तुलनात्मक रूप से

कुछ गरीब विधवाएं नियमों की जानकारी के अभाव में पेंशन का लाभ लेने से वंचित रही हैं और प्रभावशाली होने के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक सक्षम व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त हो रही है। अतः सिफारिश की जाती है कि योजना के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा में विचार–विमर्श कर (योग्य व्यक्तियों के) आवेदन–पत्र भरवाये जावें ताकि उसी समय उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जा सके तथा पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को और अधिक कम किया जा सके, यदि सम्भव हो तो स्वीकृति आदेश/ पी.पी.ओ. की प्रति साधारण डाक से न भेजी जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें। पेंशन के नियमित भुगतान हेतु व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतवार तिथि निश्चित कर दी जावें ताकि कार्यालय कर्मचारी व लाभार्थी दोनों को ही सुविधा हो सके। योजना की मोनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि योजना से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें तथा उसमें किसी प्रकार की विसंगति न रहे।

————

***परिशिष्ट–VI***

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 तक की संभाग/जिलेवार लाभान्वितों की संख्या

| क्र.सं. | संभाग | जिला | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
| 1. | ***उदयपुर*** | ***उदयपुर*** | 14435 | 16413 | 17816 |
| | | डूंगरपुर | 6150 | 6840 | 7100 |
| | | बांसवाड़ा | 4532 | 4932 | 5228 |
| | | राजसमन्द | 6313 | 7946 | 9000 |
| | | चित्तौडगढ़ | 11097 | 11069 | 6483 |
| | **योग** | | **42527** | **47200** | **45627** |
| 2. | ***अजमेर*** | ***अजमेर*** | 10232 | 11458 | 12175 |
| | | टोंक | 5749 | 5980 | 6800 |
| | | नागौर | 7622 | 8100 | 9015 |
| | | भीलवाड़ा | 7200 | 8072 | 10400 |
| | **योग** | | **30803** | **33610** | **38390** |
| 3. | ***जयपुर*** | ***जयपुर*** | 9442 | 10084 | 10582 |
| | | सीकर | 5218 | 5587 | 6100 |
| | | झुन्झुनू | 4329 | 5589 | 6459 |
| | | अलवर | 8737 | 7572 | 7836 |
| | | दौसा | 3815 | 4168 | 5002 |
| | **योग** | | **31541** | **33000** | **35979** |
| 4. | जोधपुर | जोधपुर | 7172 | 7442 | 7950 |
| | | बाड़मेर | 2844 | 3160 | 3406 |
| | | जैसलमेर | 693 | 608 | 684 |
| | | जालौर | 4485 | 4766 | 4400 |
| | | पाली | 6245 | 6898 | 4220 |
| | | सिरोही | 3369 | 3811 | 3950 |
| | **योग** | | **24808** | **26685** | **24610** |
| 5. | कोटा | कोटा | 4633 | 6132 | 7200 |
| | | बूंदी | 5400 | 6483 | 6664 |
| | | बांरा | 2886 | 5678 | 9338 |
| | | झालावाड़ | 2962 | 4207 | 5000 |
| | **योग** | | **15881** | **22500** | **28202** |
| 6. | भरतपुर | भरतपुर | 6903 | 8358 | 8800 |
| | | सवाईमाधोपुर | 3124 | 4104 | 4515 |
| | | धौलपुर | 2800 | 3413 | 3603 |
| | | करौली | 2998 | 4857 | 6950 |
| | **योग** | | **15825** | **20732** | **23868** |
| 7. | बीकानेर | बीकानेर | 1933 | 2089 | 2507 |
| | | चूरू | 4544 | 6359 | 9000 |
| | | गंगानगर | 4266 | 5895 | 7075 |
| | | हनुमानगढ़ | 2100 | 2746 | 4119 |
| | **योग** | | **12843** | **17089** | **22701** |
| | **महायोग** | | **174228** | **200816** | **223377** |

## प्रतिवेदन कार्य में सहभागी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पद | पदस्थापन |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती मधु पोखरना | संयुक्त निदेशक | मुख्यालय, जयपुर |
| 2. | श्री हजारी सिंह टाक | संयुक्त निदेशक (दिनांक 31–12–06 को सेवानिवृत्त) | मुख्यालय, जयपुर |
| 3. | श्री भगवान सहाय यादव | सहायक निदेशक (O) | मुख्यालय, जयपुर |
| 4. | श्रीमती पुष्पा माथुर | अन्वेषण सहायक | मुख्यालय, जयपुर |
| 5. | श्रीमती सुनीता जैन | अन्वेषक | मुख्यालय, जयपुर |
| 6. | श्रीमती दुर्गेश सक्सेना | अन्वेषक | मुख्यालय, जयपुर |
| 7. | श्रीमती इन्द्रा शर्मा | अन्वेषक | मुख्यालय, जयपुर |
| 8. | श्री बृजमोहन | शीघ्रलिपिक | मुख्यालय, जयपुर |
| 9. | श्री रमेशचन्द्र शर्मा | मूल्यांकन अधिकारी | संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर |
| 10. | श्रीमती लेखा महला | अन्वेषण सहायक | संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर |
| 11. | श्रीमती बृज कुमारी सक्सेना | अन्वेषक | संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर |
| 12. | श्रीमती सविता मौर्य | अन्वेषक | संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर |
| 13. | श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल | अन्वेषण सहायक (दिनांक 1–11–2007 को सेवानिवृत्त) | संभाग मूल्यांकन कार्यालय,उदयपुर |
| 14. | श्री ओमप्रकाश मेहता | अन्वेषक | संभाग मूल्यांकन कार्यालय,उदयपुर |
| 15. | श्री छोटेलाल | अन्वेषक | संभाग मूल्यांकन कार्यालय,अजमेर |
| 16. | श्रीमती सरोज लखावत | अन्वेषक | संभाग मूल्यांकन कार्यालय,अजमेर |

———